

April
May
2023

अरफ़ात किरण

ईमानुल मुबारक बा अब्दुस्साल

“जिस तरह हमने अल्लाह के हुक्म से रमज़ान में हलाल व पाक व तैय्यब चीज़ें छोड़ दीं, इसी तरह अल्लाह के हुक्म से गैर रमज़ान के दिनों में हम गुनाहों का इरतिकाब कैसे करें? हम अल्लाह को नाराज़ करने वाली चीज़ें क्यों कर गुज़रें? हम झूठ क्यों बोलें? हम झूठी गवाही क्यों दें? हम किसी मुसलमान की दिल आज़ारी क्यों करें? हम ज़ुल्म क्यों करें? हम किसी का खून क्यों बहाएं? हम किसी का दिल क्यों तोड़ें? इन चीज़ों से बचने की आदत, ख्याल व ध्यान पैदा हो जाए, यह है तक़्वा और रमज़ान का मक़सद, अल्लाह तआला हमसे रमज़ान के उन्तीस—तीस दिनों में तैय्यब व पाक नेमतें छुड़ाकर हमारी मशक़ कराता है कि हम गुनाहों के इरतिकाब से बचें और जो भी काम करें ख्याल करके करें।”

﴿ हज़रत मौलाना शैयद अबुल हसन अली हसनी नववी (رہ) ﴾



मर्कजुल इमाम अबिल हसन अल नदवी
दारे अरफ़ात, तकिया कलां, रायबरेली

ਇਵਾਦਤ-ਛਣ ਕੀ ਗਿਆ॥

“ਇਨਸਾਨ ਸਿਰਫ ਮਾਦਦੀ ਗਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸੇ ਹਮ ਦੇਖਤੇ ਹੋਏ ਔਰ ਮਹਸੂਸ ਕਰਤੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਪਨੀ ਖਾਨੇ—ਪੀਨੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਤੋਂ ਤਲਬ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਬਲਿਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਉਸ ਜਾਹਰੇ ਨਫਸ ਮੈਂ ਪੋਸ਼ੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸਕੀ ਵਜ਼ਹ ਦੇ ਵਹ ਏਕ ਸੁਅੜਿਆ ਔਰ ਸੁਕਰਮ ਇਨਸਾਨ ਬਨਾ ਔਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰ ਪਾਈ ਜਾਨੇ ਵਾਲੀ ਤਮਾਮ ਮੌਜੂਦਾਤ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਕਾਰਾ ਪਾਯਾ, ਵਹ ਜਾਹਰ ਉਸਕੀ ਰੂਹ ਹੈ ਜੋ ਅਪਨੀ ਜਿਨ੍ਦਗੀ ਔਰ ਅਪਨਾ ਤਜ਼ਕਿਆ ਅਲਲਾਹ ਦੀ ਤਆਲਾ ਦੀ ਸੁਨਾਜਾਤ ਮੈਂ ਪਾਤੀ ਹੈ, ਵਹ ਅਲਲਾਹ ਦੀ ਇਵਾਦਤ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸੇ ਗਿਆ ਔਰ ਨਸ਼ੋਨੁਮਾ ਦੇਤੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਰੋਜ ਉਸੇ ਰਸਦ ਪਹੁੰਚਾਤੀ ਹੈ ਜੋ ਘਟਤੀ ਹੈ ਔਰ ਨ ਖੱਤਮ ਹੋਤੀ ਹੈ।

ਅਗਰ ਇਸ ਮਾਨੀ ਜਾਹਰ ਗੁਫ਼ਲਤ ਵਿੱਖੇ ਦੀ ਪੰਡ ਪਢ ਜਾਏ ਔਰ ਇਨਕਾਰ ਵਿੱਖ ਦੀ ਰੰਗ ਲਗ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਤੇ ਬਦਹਾਲੀ ਦੀ ਝਕਕਡ ਚਲਤੇ ਹੈਂ, ਜੋ ਗੁਬਾਰ ਕੋ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਤੇ ਹੈਂ, ਧਾ ਸ਼ਦਾਏਦ ਦੀ ਆਗ ਭਡਕ ਉਠਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਾਂਗ ਕੋ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਬਿਲਾ ਤਾਖੀਰ ਅਪਨੇ ਰਥ ਦੀ ਤਰਫ ਪਲਟ ਆਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਪੁਕਾਰਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸਕੇ ਹੁਜੂਰ ਮੈਂ ਗਿਡਗਿਡਾਤਾ ਹੈ ਔਰ ਯਹੀ ਵਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜਿਸਕਾ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਨੇ ਜਿਕਰ ਕਿਯਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਦਗੀ ਦੀ ਵਾਕਾਧਾਰ ਉਸਕੀ ਤਾਈਦ ਕਰਤੇ ਹੈਂ। ਅਲਲਾਹ ਤਆਲਾ ਦਾ ਇਸ਼ਾਦ ਹੈ:

“ਵਹੀ ਹੈ ਜੋ ਖੁਸ਼ਕੀ ਔਰ ਸਮਨਦਰ ਮੈਂ ਤੁਮਕੋ ਲਿਏ ਫਿਰਾਤਾ ਹੈ ਧਾਹਾਂ ਤਕ ਕਿ ਤੁਮ ਜਾਬ ਕਥਤੀ ਮੈਂ (ਸਵਾਰ) ਹੋਤੇ ਹੋ ਔਰ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਹਵਾ ਦੀ ਜ਼ਰਿਏ ਵਹ ਲੋਗਾਂ ਕੋ ਲੇਕਰ ਚਲਤੀ ਹੈਂ ਔਰ ਲੋਗ ਉਸਮੈਂ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਤੇ ਹੈਂ ਤਾਂ ਤੇ ਏਕ ਸਥਾਨ ਆਂਧੀ ਉਨਕੋ ਆ ਲੇਤੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਤਰਫ ਦੇ ਮੈਂਜੇਂ ਉਨ ਪਰ ਉਠਤੀ ਹੈਂ ਔਰ ਵਹ ਸਮਝ ਲੇਤੇ ਹੈਂ ਕਿ ਵਹ ਉਸਮੈਂ ਧਿਰ ਗਏ ਤਾਂ ਬਨਦਗੀ ਮੈਂ ਧਕਾਸੂ ਹੋਕਰ ਵਹ ਅਲਲਾਹ ਦੀ ਪੁਕਾਰਨੇ ਲਗਤੇ ਹੈਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂਨੇ ਹਮੈਂ ਇਸਦੇ ਬਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਹਮ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਕ੍ਰ ਬਜਾ ਲਾਨੇ ਵਾਲੇ ਹੋਂਗੇ।” (ਧੂਨੁਸ: 22)

ਵਾਕਾਧਾਰ ਯਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਸਲਾਹ ਪਾਤਾ ਹੈ ਨ ਫ਼ਲਾਹ, ਮਸ਼ਰੂਰ ਹੋਤਾ ਹੈ ਔਰ ਨ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਖ ਲਾਵਾਜ਼ ਹਾਸਿਲ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਸੁਕੂਨ ਪਾਤਾ ਹੈ ਔਰ ਨ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਸਿਵਾਯ ਅਪਨੇ ਏਕ ਰਥ ਦੀ ਇਵਾਦਤ, ਉਸਕੀ ਸੁਹਿਤ ਔਰ ਉਸਕੀ ਤਰਫ ਅਨਾਬਤ ਦੀ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਦੁਨਿਆ ਦੀ ਸਬਕੁਛ ਮਿਥਿਲਾ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੇ ਉਸੇ ਸੁਕੂਨ ਹਾਸਿਲ ਹੋਤਾ ਹੈ ਔਰ ਨ ਇਤਿਨਾਨ, ਕਿਧੋਂਕਿ ਉਸਕੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰਤੀ ਤੌਰ ਪਰ ਅਪਨੇ ਰਥ ਦੀ ਮਾਂਗ ਹੈ, ਇਸਲਿਏ ਕਿ ਵਹ ਉਸਕਾ ਮਾਬੂਦ ਹੈ, ਮਹਬੂਬ ਹੈ ਔਰ ਮਤਲੂਬ ਹੈ, ਇਸੀ ਦੇ ਉਸੇ ਫਰਹਤ ਵਿੱਖ ਦੀ ਸਰਵਰ, ਲਾਵਾਜ਼ ਵਿੱਖ ਨੇਮਤ, ਸੁਕੂਨ ਵਿੱਖ ਇਤਿਨਾਨ ਹਾਸਿਲ ਹੋਤਾ ਹੈ।

ਅਗਰ ਉਸੇ ਅਲਲਾਹ ਦੀ ਇਵਾਦਤ ਦੀ ਅਲਾਵਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਜਾਏ ਜੋ ਉਸਕੀ ਪਸਾਂਦੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵਹ ਜਿਸੇ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨੇ ਦੀ ਖਾਵਾਹਿਸ਼ਮਾਂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇ ਉਸੇ ਏਹਸਾਸੇ ਦਰਦ, ਹਸਰਤ ਔਰ ਤਕਲੀਫ ਦੀ ਅਲਾਵਾ ਕੁਛ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ, ਬਲਿਕ ਵਹ ਅਲਲਾਹ ਦੀ ਸੁਹਿਤ ਦੀ ਸਾਥ ਹੀ ਦੁਨਿਆ ਦੀ ਕੁਲਫ਼ਤੋਂ ਔਰ ਜਿਨ੍ਦਗੀ ਦੀ ਤਲਖਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯਾਤ ਪਾ ਸਕੇਗਾ, ਧਾਹਾਂ ਤਕ ਕਿ ਅਲਲਾਹ ਦੀ ਸਿਵਾ ਅਪਨੀ ਜਾਤ ਦੀ ਲਿਏ ਮੀਂ ਉਸੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਹਬੂਬ ਨ ਹੋ।

ਸਲੀਮ ਦਿਲਾਂ, ਤਥਿਬ ਰੂਹਾਂ ਔਰ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਅਕਲਾਂ ਦੀ ਧਾਹਾਂ ਅਲਲਾਹ ਤਆਲਾ ਦੀ ਸੁਹਿਤ, ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਉਨਸ ਔਰ ਉਸਦੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਬਢਕਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੀਰੀਂਤਰ, ਲਜੀਜ਼ਤਰ, ਪਾਕੀਜ਼ਾਤਰ, ਮਸਰੰਤ ਆਮੈਜ਼ ਔਰ ਨੇਮਤ ਬਦਾਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੋਮਿਨ ਅਪਨੇ ਦਿਲ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਜੋ ਹਲਾਵਤ ਮਹਸੂਸ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਵਹ ਹਰ ਦੂਸਰੀ ਹਲਾਵਤ ਔਰ ਹਰ ਨੇਮਤ ਔਰ ਉਸੇ ਪਹੁੰਚਨੇ ਵਾਲੀ ਹਰ ਲਾਵਾਜ਼ ਦੇ ਬੁਲਨਦਰ, ਕਾਮਿਲਤਰ ਔਰ ਬਾਲਾਤਰ ਹੋਤੀ ਹੈ।

ਅਲਲਾਮਾ ਯੂਸੂਫ ਕੁਰਜਾਵੀ (ਰਹੋ)

(ਇਸਲਾਮ ਮੈਂ ਇਵਾਦਤ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਮਫ਼ਹੂਮ: 125-127)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

मासिक

अरफ़ात किरण

रायबरेली

अंक: 4-5

अप्रैल-मई 2023 ₹०

वर्ष: 14

संरक्षक: हज़रत मौलाना सैयद मुहम्मद राबे हसनी नदवी (अध्यक्ष - दारे अरफ़ात)



सम्पादक

बिलाल अब्दुल हयि हसनी नदवी

सम्पादकीय मण्डल

मुफ्ती राधिद हुसैन नदवी
अब्दुस्सुबहान नाशुदा नदवी
महमूद हसन हसनी नदवी

सह सम्पादक

मो० नफीस रवाँ नदवी

अनुवादक

मोहम्मद सैफ

मुद्रक

मो० हसन नदवी

रोज़ों की फ़ुज़ीलत

अल्लाह के सूल
(सल्लल्लाहू अलैहि वसल्लम)
ने फ़र्माया:

“जिस बढ़वे ने अल्लाह के रास्ते में
एक विन का रोज़ा रखा, अल्लाह
तबारक व तआला उस के चेहरे को
(दोऽरुख़ की) आग से सत्तर दशल की
मुराफ़त तक दूर कर देता है।”

सही मुस्लिम: 2767

E-Mail: markazulimam@gmail.com



www.abulhasanalnadwi.org

मर्कजुल इमाम अबिल हसन अल-नदवी दारे अरफ़ात, तकिया कलां रायबरेली, य०पी०.२२९००१

प्रति अंक
15रु

मो० हसन नदवी ने एस० ए० आफ्सेट प्रिन्टर्स, मस्जिद के पीछे, फटक अब्दुल्ला खॉ, सज्जी मण्डी, स्टेशन रोड रायबरेली से
छावाकर आफिस अरफ़ात किरण, मर्कजुल इमाम अबिल हसन अल-नदवी, दारे अरफ़ात, तकिया कलां रायबरेली से प्रकाशित किया।

वार्षिक
100रु०

Markazul Imam Abil Hasan Al-Nadwi Samiti (Punjab National Bank) A/c No. 6127002100000339 (IFSC: PUNB0612700)



बह हंस-हंस के वादे किये जा रहे हैं

माहिरुल कादरी (रह०)

बह हंस-हंस के वादे किये जा रहे हैं
फरे बे तमन्ना दिये जा रहे हैं

तेरा नाम लेकर दिये जा रहे हैं
गुनाहे मुहब्बत किये जा रहे हैं

मेरे ज़ख्मे दिल का मुक़द्र तो देखो
निगाहों से टांके दिये जा रहे हैं

न काली घटाएं न फूलों का मौसम
मगर पीने वाले पिये जा रहे हैं

तेरी महफिले नाज़ से उठने वाले
निगाहों में तुझको लिये जा रहे हैं

मेरे शाँके दीदार का हाल सुनकर
क्यामत के वादे किये जा रहे हैं

हरीमे तज़ह्वानी में ज़ौके नज़र हैं
निगाहों से सजदे किये जा रहे हैं

अभी है असीरी का आगाज़ा माहिर
अभी तो फ़क़त पर सिये जा रहे हैं

इस अंक में:

माहे मुबारक का पैगाम 3

बिलाल अब्दुल हयि हसनी नदवी
फरीज़ा-ए-सौम की हिक्मतें 4

हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली हसनी नदवी
दीनी दावत का कुरआनी उस्लूب 6

हज़रत मौलाना सैयद मुहम्मद राबे हसनी नदवी
फरीज़ा-ए-सौम का तकाज़ा 8

मौलाना अबुल्लाह हसनी नदवी (रह०)
उम्मत की ख़स्ताहाली और हक़ के दाई 10

हज़रत मौलाना सईदुर्रहमान आज़मी नदवी
तक़वा क्या है? 11

बिलाल अब्दुल हयि हसनी नदवी
निकाह के चन्द मसाएल 13

मुफ्ती राशिद हुसैन नदवी
हकीकत-ए-सौम 15

मौलाना अबुसुल्हान नाखुदा नदवी
ज़कात - कुछ ज़रूरी हुक्म व मसले 17

एतिकाफ़ के चन्द मसाएल 22

रोज़े के मुख्तलिफ़ मसाएल 24

आप (स०अ०व०) के मामूलात रमज़ान में 29

मुहम्मद अमीन हसनी नदवी
कुरआन मजीद-रहबर-ए-कामिल 31
मुहम्मद अरमुगान बदायूनी नदवी



माह-ए-मुबारक का पैदाम



● बिलाल अब्दुल हयि हसनी नदवी

रमज़ान का महीना अल्लाह तआला की एक ख़ास नेमत और उम्मते मुहम्मदिया पर उसका फ़ज्ज़े अज़ीम है, यह एक ऐसा अज़ीम महीना है जो हमसे कुछ लेने के लिए नहीं बल्कि हमें कुछ देने के लिए आता है, वाक्या यह है कि यह महीना मणिफ़रत के परवाने देने के लिए, इस्लाहे नफ़्स और मुहासबा—ए—नफ़्स कराने के लिए आता है, हमारी ज़िन्दगियों को सही रुख़ देने और हालात को बदलने के लिए आता है, लेकिन यह सब उसी वक्त मुमकिन है जब हमारे अन्दर रमज़ान के पैदाम व मकाम का एहसास पैदा हो और इस माहे मुबारक में हमारी जो ज़िम्मेदारिया हैं उनको हम अदा करने की कोशिश करें।

रमज़ान अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने का मौसम है, या यूं कह लें कि इबादतों का जश्ने आम है, इसमें अल्लाह की ऐसी रहमतें बरसती हैं जिनका शायद हमारी यह माददी निगाहें मुशाहदा न कर सकें, जिस तरह हर कारोबार का सहालक होता है, उसी तरह रमज़ान भी इबादतों की सहालक का महीना है, जो गोया कि साल भर की कमाई का ज़माना है, हज़रत इमाम सरहन्दी (रह0) ने अपने मकतूबात में लिखा है कि अगर किसी का रमज़ानुल मुबारक का महीना अच्छा गुज़रा तो उसका पूरा साल अच्छा गुज़रता है। वाक्या यह है कि अगर पूरी कूब्ते ईमानी, मुकम्मल एहतिसाबे नफ़्स, इस्लाह के भरपूर ज़ज्बे और एक—एक लम्हे की क़द्र के साथ यह महीना अच्छा गुज़र गया तो इसका असर सिर्फ़ सालभर नहीं बल्कि बाज़ मर्तबा पूरी ज़िन्दगी पर पड़ता है और ज़िन्दगी के अन्दर तब्दीली पैदा होती है।

रमज़ान रोज़ा, तिलावत, तरावीह, ज़िक्र व अज़कार और ग़मगुसारी का महीना है, इसके अन्दर हम यह तय कर लें कि हमें अपना एक—एक लम्हा कीमती बनाना है, अपना परहेज़ करना है, इसी के साथ दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा हुस्ने सुलूक का एहतिमाम करना है, यह सुलूक पैसों से भी हो सकता है, अच्छे बोल से भी हो सकता है, ख़िदमत से भी हो सकता है, अपने ताल्लुक वालों और रिश्तेदारों के साथ अच्छा मामला करने और अख़लाक बरतने से भी हो सकता है।

रमज़ान मुहासबा—ए—नफ़्स और तौबा का बेहतरीन मौक़ा है, इस महीने में हम यह अहद कर लें कि सच्ची—पक्की तौबा करेंगे, विरासत और जाएदाद की सही तक़सीम करेंगे, आपस के झगड़े को ख़त्म करेंगे और हर तरह के ग़लत कामों से बचेंगे, इंशाअल्लाह यह अमल हमारे लिए मणिफ़रत का ज़रिया बनेगा।

रमज़ान का महीना तक़वा का मिजाज बनाने के लिए है, जिसमें मख़सूस वक्त तक तैयब व हलाल चीज़ें हत्ता कि आबे ज़मज़म भी हलक़ के नीचे जाना हराम है, ताकि आदमी का यह मिजाज बन जाए कि गैर रमज़ान में वह हराम खाने और कमाने से बच सके और अल्लाह की मर्जी के मुताबिक ज़िन्दगी गुज़ार सके।

अफ़सोस का मकाम है कि हम लोग ऐसे मुबारक व अज़ीमुश्शान महीने में इफ़तारियों की बड़ी ज़बरदस्त तैयारियां करते हैं, सहरी की ज़रूरतों को जमा करने की बहुत ज़्यादा फ़िक्र करते हैं, उम्दा से उम्दा मशरुबात का एहतिमाम करते हैं, अपना कीमती वक्त ईद की ख़रीददारी में ख़र्च करते हैं, रोज़े की हालत में घंटों आपस में बातें करते हैं और जब बातें होती हैं तो ज़बान पर काबू नहीं रहता, नतीजा यह होता है कि रोज़े के साथ झूठ, ग़ीबत और चुग्ली भी ज़बान पर जारी रहती है, ज़ाहिर है कि यह तमाम आमाल रोज़े की हकीकत और उसकी रुह के मनाफ़ी हैं, इन तमाम बातों से बचना ज़रूरी है, हमें कोशिश करना चाहिए कि यह पूरा महीना अजमत व एहतियात के साथ गुज़ार दें और एक लम्हा भी ग़फ़लत में न गुज़रे, न जाने हमारे एह लम्हे की ग़फ़लत कितने दिनों के नुक़सान का सबब बन जाए, अगर हमने इन बातों का ख़्याल रखा तो इस माहे मुबारक से हमारी ज़िन्दगियों में तब्दीली पैदा होगी और रमज़ान का महीना हमसे इस हाल में रुख़सत होगा कि वह हमसे राजी होगा और हमारे लिए मणिफ़रत का ज़रिया बनेगा, हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल (स0अ0व0) ने उस शख्स के लिए बदुआ की जिससे यह महीना नाराज़ होकर जाए और हज़रत ज़िब्राईल (अलैहिस्सलाम) ने उस पर आमीन कही।

ફુરીજા—એ—સૌમ કી હિંકાર્પત્રો

હજરત મૌલાના સૈયદ અબુલ હસન અલી હસની નદવી (રહો)

1—રોજા સુબહ—એ—સાદિક સે શુરૂ હોકર ગુરુબ—એ—આફતાબ તક રહતા હૈ, અગર યહ વક્ફા પૂરે દિન સે કમ હોતા તો ઇસકા કોઈ ખાસ અસરે શરૂરી વ તબિયત પર ન પડતા। જિન્દગી મેં ઐસે ઇત્તિફાક હોતે રહતે હૈને કિ કઈ—કઈ વક્તા કા ખાના નાગા હો જાતા હૈ। અગર મહજ યહી હો કિ દિન મેં સિર્ફ ચન્દ ઘંટોં કા રોજા રખા જાએ, તો ઇસકા કોઈ ખાસ એહસાસ ઔર ઇસ્લાહી અસર ન પડેંગા ઔર બહુત સે લોગોં કો ઐસા માલૂમ હોગા કિ ગોયા અપને હિસાબ સે એક રોજ જારા દેર સે ખાના ખાયા।

2—યહ રોજે રમજાન કે તીસ યા ઉન્નીસ દિન રખે જાતે હૈને, ઇસલિએ કિ ઐસે વક્ફે મુસલસલ હોં, તાકિ ઉનકે નુકૂશ દેરપા હોં। એક તવીલ વક્ફે સે યહ બહુત જ્યાદા મુફીદ હૈ કિ મુતવાતિર, મુતઅદિદદ વ મતૂસત દર્જે કે વક્ફે હોં।

3—ઇન વક્ફોની તાદાદ કા તઅયુન ભી જરૂરી હૈ કિ ઇસકો મુબહમ ઔર ગૈર મુતઅય્યન છોડ દેને સે અફરાત વ તફરીત કા અંદેશા હૈ। બહુત સે લોગ બહુત થોડે રોજે રખતે ઔર બહુત સે લોગ બહુત જ્યાદા રોજે રખતે। ફિર જબ યહ આલમગીર ફરીજા હૈ, ઔર તશ્રીઅ—એ—આમ મકસૂદ હૈ, તો ઇસમે ઇન્ટિખાબ કા હક નહીં રહના ચાહિયે થો, કિ જો શાખસ જિસ મહીને મેં ચાહે રખે, ઇસસે આમ તૌર પર હીલા જોઈ, ઉજ્જ ઔર બેઅમલી કા દરવાજા ખુલતા હૈ ઔર ગુરેજ કી રાહ પૈદા હો જાતી હૈ। એહતિસાબ ઔર બાજપુર્સ કા કોઈ મૌકા બાકી નહીં રહતા। વાજ વ નસીહત, અમ્ર બિલ માર્ખફ, નહીં અનિલ મુન્કર કા દરવાજા બન્દ હો જાતા હૈ, જિસ શાખસ સે ભી કિસી વક્ત ઇસ બારે મેં બાતચીત કી જાએ, વહ યહ કહકર મુંહ બન્દ કર સકતા હૈ કિ મેરા મામૂલ ફલાં મહીને મેં હોય, ઔર ઇસકા કોઈ જવાબ નહીં, ઔર ઇસ તરહ ધીરે—ધીરે ઇસ ચીજ કા રિવાજ મિટ જાએગા।

4—એક હી વક્તા મેં તમામ રોજે જમીન કે મુસલમાનોનું કે રોજે રખને મેં બડી હિકમત હૈ। મુસલમાનોની કી બડી જમાઅત કા ફરીજા—એ—સિયામ કો એહતિમામ કે સાથ એક હી વક્તા મેં અદા કરના, કમજોર તબિયત વાળોનું કે લિએ ભી હિકમત અફર્જા, શૌક અંગેજ ઔર ફરીજા કી અદાયગી મેં મદદગાર સાબિત હોતા હૈ। એક આલમગીર રૂહાની માહૌલ ઔર એક ઉમૂમી દીની ફિજા પૈદા હો જાતી હૈ, જો કલ્બ વ અરવાહ કે લિએ મૌસમે બહાર કી સી તાસીર રખતી હૈ, જિસમાં થોડી તવજ્જો સે હર ચીજ મેં નશોનુમા પૈદા હોને લગતા હૈ। મુસલમાનોનું કે ઇસ રૂહાની ફરીજે મેં મશગૂલ હોને સે મલકૂતી અનવાર વ બરકાત કા નુજૂલ હોતા હૈ ઔર અવામ કે આઈના—એ—દિલ પર અનવાર કા ઇનઅકાસ હોતા હૈ। મુસલમાન આલમ કે જિસ ગોશે મેં ભી હોય, ઉસકી રોજેદારાના ફિજા માલૂમ હોતી હોતી હૈ, જો ઉસસે ખુદ હી તકાજા કરતી હૈ કિ વહ ભી રોજેદાર હો। મુસલમાન રોજા શિકની કરકે અપને કો ઇસ માહૌલ મેં અજનબી ઔર એક તરહ કા મુજરિમ સમજીતા હૈ।

5—ઇન તમામ હિકમતોની બિના પર સાલ મેં તો એક પૂરા મહીના રોજે કે લિએ મખસૂસ કર દિયા ગયા હૈ। દૂસરી ખુસૂસિયાત કે અલાવા જિનકા હમેં ઇલ્બ નહીં, રમજાન કી તખ્સીસ કી એક ખુલી વજહ યહ હૈ કિ ઇસ માહે મુબારક મેં નુજૂલે કુરાન કા સિલસિલા શુરૂ હુઅ ઔર રોજા ઔર કુરાન મેં ખાસ મુનાસબત હૈ। કુરાન ચૂંકિ આલમે ગૈબ ઔર આલમે રૂહાનિયત કી ચીજ હૈ ઔર રોજા આલમે માદદી સે બહુત હદ તક આજાદી, કલ્બ વ રૂહ મેં લતાફત ઔર આલમે ગૈબ ઔર આલમે રૂહ સે એક તરહ કી મુનાસબત પૈદા કર દેતા હૈ, રોજેદાર પર ખુદા કી સિફાત કા એક પરતો ઔર ઉસકી શાને સમદિયત કા એક અસર પૈદા હો જાતા હૈ; ઇસલિએ કુરાન કે દિલ મેં બસને ઔર રૂહ મેં પેવસ્ત હોને કા ખાસ મૌકા હોતા હૈ, યહી વજહ હૈ કિ કુરાન કે હિર્સ્સોનું કો મુખ્તાલિફ તરીકો સે રોજે મેં જ્યાદા સે જ્યાદા દાખિલ કિયા ગયા ઔર યહી તરાવીહ કી હિકમત હૈ।

6– रोज़ा जिन्दगी में एक ऐसा महसूस फर्क और इम्तियाज़ पैदा कर देता है कि बेहिस से बेहिस इन्सान को भी अपने साबिका तर्ज़े जिन्दगी, गफलत शोआरी और दुनियावी इन्हिमाक में तख्कीफ़ का तबई तकाज़ा पैदा हो जाता है, रमज़ान एक महमेज़ का काम देता है, जो सोई हुई तबियतों को जगाने, बुझे हुए दिलों को गर्मने, आतिशे मुहब्बत को भड़काने और दबी चिंगारियों को उभारने का सामान पैदा कर देता है।

जिस तरह से माददी तौर पर रात–दिन का इंगितलाफ़, हर नई सुबह का तुलूअः इन्सान में एक शऊर, एक नई आमादगी और ख़ालिक की तरफ तवज्जो पैदा कर देता है, इसी तरह रुहानी तौर पर रमज़ान की सालाना आमद, मुसलमानों की बस्तियों और आबादियों में रुहनियत का एहसास, दीनी बेदारी, अपनी कोताहियों पर नदामत, मुजरिमों में अपने जराएम पर नदामत और खुदा की तरफ एक तवज्जो और अनाबत पैदा कर देती है और अगर मादिदयत ने क़ल्ब को बिल्कुल बेहिस नहीं बना दिया है तो सदहा आदमियों को तौबा और इस्लाह की तौफीक हो जाती है, रमज़ान सालाना एहतिसाब और अपनी साबिक जिन्दगी का जाएज़ा लेने का एक बेहतरीन मौक़ा है, हर शख्स आसानी से देख सकता है कि उसने गुज़िश्ता रमज़ान से इस रमज़ान तक कैसी जिन्दगी गुज़ारी है और उसने दीनी हैसियत से कहां तक तरक्की की है?

7– रमज़ान हर साल हर शख्स को अपनी सतह से तरक्की देने के लिए आता है, जो शख्स जिस सतह तक पहुंच गया है, ख्वाह वह तरक्की देने के लिए आता है, जो शख्स जिस सतह तक पहुंच गया है, ख्वाह वह सतह कितनी ही बुलन्द क्यों न हो, उससे बुलन्द करने की ताक़त इसमें मौजूद है। हर शख्स अमल, रुहानियत, ज़िक्र व इबादत, अल्लाह से ताल्लुक, इख्लास, जफ़ाकशी व मुजाहिदा, जुहू व क़नाअत, ईसार, ग़मख्वारी और मवासात की जिस मंज़िल व मकाम पर भी है, हर नया रमज़ान उसको इससे आगे बढ़ाने के लिए, ज़्यादा बुलन्द मंज़िल का शौक दिलाने के लिए आता है। रमज़ान की साख्त, रमज़ान का निज़ाम, रमज़ान के अज्ज़ा, रमज़ान के मशागिल और रमज़ान का माहौल ऐसा बनाया गया

है कि हर शख्स को अपने को तरक्की देने का मौक़ा हासिल होता है। माददी मवानेअ तक़रीबन दूर हो जाते हैं। ज़िक्र व इबादत में ज़ज्बा—ए—मुसाबक़त पैदा होता है। अच्छे दीनदारों और रोज़ादारों का साथ होता है। कुरआन मजीद की तिलावत और मुताला करने का ज़्यादा से ज़्यादा मौक़ा मिलता है। क़ल्ब व रुह में लताफ़त पैदा होती है। ग़रज़ वह सारे मवाक़ेअ बहम पहुंच जाते हैं, जो इन्सान की रुहानी तरक्की और इस्लाह के लिए ज़रूरी और मुफ़ीद हैं और हर शख्स को अपनी सतह के मुताबिक़ तरक्की होती है।

8– रमज़ान के रोज़े की एक दूसरी खुसूसियत यह है कि वह इताअते इलाही का एक खुला हुआ मज़हर है। इससे बढ़कर इताअत का सुबूत क्या हो सकता है कि नेअमतों की मौजूदगी में, और हर चीज़ की इस्तेमाल की कुदरत के बावजूद, महज़ इम्तिसाले हुक्म के लिए आदमी अपने होटों पर ताला लगा लेता है, यह ताला अल्लाह के हुक्म से ही खुलता है और अल्लाह के हुक्म से लगता है, जब न खाने का हुक्म हो जाए तो उस वक्त तामीले इरशाद में देर करना ग़लती है। इसीलिए आफ़ताब के गुरुब हो जाने के बाद इफ्तार करने में ताखीर करना मकरुह है।

9– रोज़ा में जब वह चीज़ें भी ममनूअ हो जाती हैं जो रोज़े के अलावा हमेशा से हलाल व तैय्यब रहेंगी, और रोज़े के बाद हमेशा हलाल व तैय्यब रहेंगी, तो वह चीज़ें कैसे ममनूअ न होंगी जो रोज़े से पहले भी हराम और ममनूअ थीं और रोज़े के बाद भी हराम और ममनूअ होंगी यानि गीबत, लड़ाई–झगड़ा, गाली–गलौज, बेहयाई, झूठ। रोज़े की रुह यह है कि तमाम गुनाहों से इज्तिनाब और नफ़रत पैदा हो और रोज़ा के दरमियान में उनसे मुकम्मल इज्तिनाब हो, अगर सिर्फ़ न खाने–पीने से रोज़ा रहा और तक़वा न पैदा हुआ तो एक बेरुह रोज़ा है जो सिर्फ़ ढांचा है, इसमें रुह नहीं, इसलिए हदीस में फ़रमाया गया है:

“जिसने (रोज़ा में) झूठ बोलना और झूठ पर अमल करना न छोड़, तो अल्लाह को इस बात की बिल्कुल ज़रूरत नहीं कि आदमी अपना खाना–पीना छोड़ दे।” (अबूदाऊद: 2362)



हज़रत मौलाना سैयद मुहम्मद रबे हसनी नववी (रह)

हमारा मुल्क हिन्दुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें मुख्तलिफ़ तबकात हैं, मुख्तलिफ़ कौमें हैं और मुख्तलिफ़ मज़ाहिब हैं, इस तरह इस मुल्क में मुख्तलिफ़ मिजाज और मुख्तलिफ़ ज़हनियतों के लोग आबाद हैं, ऐसे हस्सास मुल्क में यह सवाल पैदा होता है कि यहां के लोगों की ज़हनियत को किस तरह तब्दील किया जाए, अगर इसका जवाब हम किताब व सुन्नत की रोशनी में तलाश करें तो मालूम होगा कि इसके लिए हिक्मत की ज़रूरत है, कुरआन मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़ज़त का इशाद है:

“अपने रब के रास्ते की तरफ हिक्मत और अच्छी नसीहत के ज़रिये बुलाते रहिये और अच्छे तरीके पर उनसे बहस कीजिए।” (सूरह नहल: 125)

मालूम हुआ कि अहले ईमान को यह हुक्म दिया गया कि तुम दूसरों तक अच्छी बात पहुंचाओ लेकिन हिक्मत के साथ मौका—महल को समझते हुए पहुंचाओ, हिक्मत का मतलब यही है कि मौके का जो तकाज़ा है उसका लिहाज़ किया जाए, यह समझा जाए कि इस मौके पर कितनी बात कही जा सकती है और कब कही जा सकती है, कुरआन मजीद में फ़रमाया गया: “अच्छे अंदाज़ में समझाओ” “मौइज़ह” का लफ़्ज़ नसीहत करने के लिए आता है यानि अच्छे अंदाज़ में नसीहत करना, लेकिन उसके साथ मजीद “हसनह” का लफ़्ज़ आया है, इससे मालूम होता है कि सिर्फ़ नसीहत ही मक्सूद नहीं है, वरना नसीहत तो खुद अच्छे अंदाज़ में कहने का नाम है, इसके साथ ‘हसनह’ की मज़ीद ताकीद का मतलब है कि अच्छे से अच्छे अंदाज़ में समझाओ, यानि सिर्फ़ समझाओ नहीं बल्कि बहुत अच्छे अंदाज़ में समझाओ, गोया पहले हिक्मत कहा गया उसके बाद मजीद ‘हसनह’ कहकर यह बताया गया कि बहुत अच्छे अंदाज़ में समझाओ, इसके बाद फ़रमाया कि (वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन) यानि अगर समझाते हुए बात बहस में आ जाए, बहस में आने का मतलब यह है कि

दलाएल में आ जाए और मुख्तातिब दलील तलब करे तो ऐसे मौके के लिए यह रहनुमाई फ़रमाई गई कि बहस का जो बेहतर से बेहतर तरीका है वह अखियार करो।

कुरआन मजीद की इस रहनुमा आयत से यह बात वाजेह हो गई कि जब हम अपनी बात दूसरों के सामने रखें तो मौके की नज़ाकत को समझकर रखें और इस अंदाज़ में पेश करें जिसमें इस बात का खास लिहाज़ हो कि सुनने वाला हमारी बात को कितना समझ सकता है और हमारी कितनी बात उसके दिल में उतर सकती है, कुरआन मजीद के उस्लूबे बयान से इन बातों को बख़ूबी समझा जा सकता है, कुरआन मजीद ने इन्सानी सतह का खास ख्याल रखा है और इसमें बेशुमार ऐसी बातें हैं जिनको इल्मी दलाएल से बहुत अच्छी तरह समझाया जा सकता था, लेकिन उनको अच्छे उस्लूब में इस तरह समझाया गया कि एक मामूली समझ का आदमी भी बिला तरददुद समझ सकता है, अपनी वहदानियत के इकरार के लिए आम—फ़रम अंदाज़ में फ़रमाया गया कि “आसमान को देखो” और “चांद—सितारों को देखो” इसी तरह तवज्जो दिलाई गई कि कहकशां वगैरह के निज़ाम को देखो, यह गौर करो कि उनसे तमाम इन्सानों को कितना फ़ायदा पहुंचता है, फिर यह सोचो कि उनको किसने पैदा किया है और जिसने पैदा किया है उसने किस तरह बनाया है वगैरह—वगैरह।

मालूम हुआ ऐसी बातें जो मामूली समझ वाले को समझाई जाती हैं इसी तरह अल्लाह तआला समझा रहा है और जो इन्तिहाई ऊंची बात ऊंचे दर्जे से वह कह सकता है, उसके बजाए बहुत आसान तरीका अखियार किया जिसको हर शख्स समझ सके, मामूली समझ का आदमी भी समझ सके और ज़्यादा समझ वाला भी समझ सके, गोया इस तरह कुरआन मजीद ने हमारी तरबियत भी कर दी कि हमको अपने मुख्तातिब से किस अंदाज़ में बात करनी चाहिए।

कुरआन मजीद का मुताला करें तो नज़र आता है कि खिताब करने के अजीब—अजीब अंदाज़ अखियार किये गए हैं, नुजूले कुरआन के वक्त कुरआन मजीद के जो लोग मुख्तातिब थे उनमें काफिर भी थे, मुनाफ़िक भी थे, यहूदी भी थे, ईसाई भी थे और अरबों के मुख्तलिफ़ तबकात भी थे, जिनमें फ़िरक़ावाराना अंदाज़ था, लेकिन कुरआन मजीद ने उन सबका लिहाज़ रखा है, कहीं पर

सिर्फ यहूदियों के ज़हन के मुताबिक बात कही, कहीं ईसाईयों के ज़हन के मुताबिक बात कही, कहीं—कहीं मुनाफ़िकों और काफ़िरों के लिहाज से बात कही, यानि जगह—जगह कुरआन मजीद ने अपना तरीका बदला है और वही तरीका अखियार किया है जो मुख्यातिब समझ सके, मुश्ऱिकीन के मुतालिक आता है कि आप उन पर ज़ोर—ज़बरदस्ती न कीजिए, ऐसा न हो कि उनको अच्छे अंदाज से दावत देते हुए उनके जो माबूद हैं, जिनको वह पुकारते हैं, जिनसे वह अपनी मुराद मांगते हैं, आप उन्हीं को अबल मरहले में बुरा कह दें, कुरआन मजीद में फ़रमाया गया कि अगर उनको बुरा कहोगे तो उसका रद्देअमल यह होगा कि वह तुम्हारे खुदा को बुरा कहेंगे, इसीलिए साफ—साफ हुक्मे कुरआनी हैं:

“और जिनको वह अल्लाह के अलावा पुकारते हैं तुम उनको बुरा—भला मत कहो कि नासमझी में हद से आगे बढ़कर अल्लाह को बुरा—भला कहने लगें।” (सूरह अलइनआम: 108)

यानि जो लोग शिर्क कर रहे हैं, मालिके हकीकी के अलावा को अपना खुदा मान रहे हैं, उनको भी बुरा न कहा जाए, वरना वह भी हमारे खुदा को बुरा कहेंगे और इसी तरह उन पर किसी किस्म का कोई जबर न किया जाए, क्योंकि इस्लाम के मामले में गैर मुस्लिम पर जबर करना मना है, अल्लाह तआला का इरशाद है:

“दीन के मामले में किसी पर ज़बरदस्ती नहीं है” (सूरह बक़रा: 256)

यानि दीन के मामले में किसी पर ज़बरदस्ती नहीं है, अगर मुख्यातिब मानता है तो माने नहीं मानता है तो न माने, हम उस पर कोई जबर नहीं कर सकते, ग़रज़ कि दीने इस्लाम में दावत का यह तरीका बताया गया है जिससे ज्यादा मुफ़ीद तरीका नहीं हो सकता।

दावत का एक खामोश तरीका यह है कि इन्सान का किरदार व गुफ़तार बज़ाते खुद बाइसे कशिश हो, पहले ज़माने में इस्लाम कुबूल करने वालों की एक बड़ी तादाद ऐसी है जो न किसी के ज़ोर—ज़बरदस्ती से इस्लाम में दाखिल हुई और न ही किसी की अनथक मेहनत से, अगर गैर किया जाए तो मालूम होता है कि सहाबा किराम से इस्लाम कुबूल करने वालों की एक बड़ी तादाद वह थी जो सिर्फ़ कुरआन मजीद सुनकर

इतना मुतास्सिर हुई कि वह अपने आप को इस्लाम में लाए बगैर न रह सकी, इसी तरह एक बड़ी तादाद उन लोगों की है जो सिर्फ़ हुजूर (स0अ0व0) के चेहरे मुबारक को देखते ही मुसलमान हो गई, कई बार ऐसा होता था कि एक आदमी दुश्मन बनकर आया और आपके मुंह से दो लफ़्ज़ सुने तो दोस्त बनकर वापस हुआ, यानि आया क़त्ल के इरादे से था, मगर जब वहां पहुंचा और आवाज़ दी, रसूलुल्लाह (स0अ0व0) बाहर निकले और पूछा कैसे आए? तो जिस लहजे में आप (स0अ0व0) ने पूछा कि कैसे आए, उसी लम्हा उसका दिल बदल गया, वह क़तई तौर पर यह सोचने के लिए मजबूर हो गया कि हम तो दुश्मन बनकर आए हैं और यह हमसे इस तरह मुहब्बत से बात कर रहे हैं, यह तो इस तरह बात कर रह हैं जैसे अपने किसी अज़ीज़ से बात कर रहे हों, लिहाज़ा उनके साथ हम किसी सूरत दुश्मनी नहीं कर सकते, बाज़ रिवायात में आता है कि किसी ने रसूलुल्लाह (स0अ0व0) का चेहरा मुबारक देख कर कहा: वल्लाह! यह झूठे आदमी का चेहरा नहीं हो सकता, अल्लाह ने इन्सान के चेहरे में यह एक बड़ी खासियत रखी है कि चेहरा इन्सान के अफ़कार का आईना होता है, आदमी के अन्दर की कैफ़ियत उसके चेहरे पर आ जाती है, अगर वह गुस्से की हालत में होगा तो उसका चेहरा बता देगा कि वह गुस्से की हालत में है, अगर वह रंज की हालत में होगा तो उसका चेहरा बता देगा कि वह रंज की हालत में है, इसी तरह रसूलुल्लाह (स0अ0व0) का चेहरा देखते ही आदमी फ़रेफ़ता हो जाता था क्योंकि वह समझ जाता था कि आपका चेहरा यह बता रहा है कि आप बड़ी मुहब्बत वाले हैं और बड़े हमदर्द हैं, लिहाज़ा हम उनसे दुश्मनी कैसे कर सकते हैं? इसीलिए अगर यह कहा जाए कि आधे सहाबा वह हैं जो आपको देखकर इस्लाम में दाखिल हुए हैं और आधे सहाबा वह हैं जो कुरआन मजीद को सुनकर दाखिले इस्लाम हुए हैं तो ग़लत न होगा, सहाबा किराम में एक बड़ी तादाद ऐसी है कि उसने कुरआन की चंद आयतें सुनीं और वह असर कर गई, इसलिए कि वह आयतें सीधे दिल पर जा लगती थीं, दिल पर चोट नहीं लगाती थीं बल्कि उनमें मुहब्बत का अंदाज होता था जो दिल को खींच लेती थीं।

फ्रीज़ा-ए-सौम

का तक्काज़ा

मौलाना अब्दुल्लाह हसनी नदवी (रह)

अगर कोई शख्स अल्लाह का ज्यादा से ज्यादा तकर्ख बहसिल करना चाहता है तो फिर वह रोज़े का सहारा लेकर अल्लाह तआला का तकर्ख आसानी से हासिल कर सकता है, इसलिए कि रोज़ा तकर्ख इलाही का सबसे बड़ा ज़रिया है, जो इस उम्मत को दुनिया की दूसरी कौमों से आगे बढ़ने के लिए नेतम के तौर पर अता फरमाया गया, क्योंकि दुनिया में जो पहली कौमें गुज़री हैं उनके बारे में कहा गया है कि उनकी उम्रें ज्यादा होती थीं और इसलिए उनके आमाल भी ज्यादा होते थे, यहां तक कि बाज़ लोगों के बारे में मालूम होता है कि ऐसे भी गुज़रे हैं जिन्होंने अस्सी-अस्सी साल इस तरह गुज़रे कि एक लम्हा के लिए भी उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी नहीं की, इसलिए उन लोगों के आमाल को देखकर सहाबा किराम को रश्क आया कि वह बहुत आगे चले जाएंगे और चूंकि हमारी उम्रें भी इतनी ज्यादा नहीं होंगी तो हम वहां तक पहुंच नहीं सकते, लेकिन अल्लाह तआला ने उम्मते मुस्लिमा की उम्रों को कम होने के बावजूद भी कम आमाल पर ज्यादा सवाब देने का वादा फरमा दिया और साबिका उम्मत के बुजुर्गोंने दीन के वह आमाल जो उन्होंने अपनी पूरी ज़िन्दगी में किये थे, अल्लाह तआला ने इस उम्मते मुस्लिमा को उन्हीं आमाल पर मिलने वाले सवाब का वादा एक ही रात ""लैलतुल क़द्र" में देने का वादा फरमा दिया और रमज़ान के रोज़े रखने का हुक्म दिया, जिसमें एक फ़र्ज के अदा करने के सवाब को सत्तर (70) फराएज़ के बराबर करार दिया गया, इसी तरह अल्लाह तआला ने उम्मते मुस्लिमा को खास तौर पर कुछ मज़ीद ऐसे नुस्खे भी दिये जिनको अगर कोई इस्तेमाल कर ले तो रुहानी एतबार से उसको बुलन्द मकाम हासिल हो जाए, क्योंकि अल्लाह तआला ही मालिके हकीकी है और उसको सबकुछ अखिल्यार है कि वह जिसको जिस कद्र चाहे उतना ही नवाज दे।

रमज़ान का रोज़ा अल्लाह ने इसलिए भी फ़र्ज किया है क्योंकि अल्लाह बखूबी जानता है कि अगर बन्दों पर कोई हुक्म फ़र्ज न किया जाए तो महज तालीम से उसके बन्दे सुस्तरवी भी अखिल्यार करेंगे, लेकिन जब किसी चीज़ को फ़र्ज करार दे दिया गया तो अदायगी लाज़िम हो जाएगी, इसीलिए रमज़ान के रोज़ों को फ़र्ज करार दे दिया गया, अलबत्ता उसके अलावा फरमा दिया गया कि अगर कोई मज़ीद रुहानियत में बुलन्द मकाम हासिल करना चाहता है तो हर महीने में तीन रोज़े रख सकता है, मुहर्रम में दो रोज़े रख सकता है, और शवाल में छः रोज़े रख सकता है, जिस पर बहुत सवाब भी रखा गया है और सबसे बढ़कर "सियामे दाऊदी" बताए गए कि एक दिन रोज़ा रखा जाए और एक दिन न रखा जाए, जिस पर अगर कोई शख्स पाबन्दी कर ले तो उसके सवाब की इन्तिहा ही नहीं है।

अरबी में "सौम" का लफ़्ज़ उन घोड़ों के लिए बोला जाता है जो दौड़ में मुकाबले के लिए लाए जाएं और उनको सधाने के लिए कुछ रोज़ तक उनका खाना बन्द कर दिया जाए, ताकि वह अच्छी तरह से दौड़ के लिए तैयार हो जाएं, लेकिन चन्द दिनों के बाद उनको बतदरीज कुछ गिज़ा देते हैं, ताकि उन घोड़ों के मुकाबले में जो खाते-पीते हैं, यह घोड़े आगे निकल जाएं, लिहाज़ा ऐसे घोड़ों को अरबी में "अलफ़रसुस्साइमह" कहा जाता है यानि रोज़ेदार घोड़े।

इसी तरह हमारे लिए यह रोज़े जिनको अरबी में "सौम" कहा जाता है, हमारी रुहानी ज़िन्दगी में आगे बढ़ने के लिए अल्लाह तआला ने हमको दिये हैं, यानि अगर हम चंद घंटे के लिए कुछ दिनों को अपने खाने-पीने और दूसरी चीज़ों से बाज़ रहें तो हम रुहानियत में आला मकाम हासिल कर लेंगे और रुहानियत के मैदान में तेज़ रफ़तार के साथ दौड़ निकालेंगे, लेकिन इसके लिए ज़रूरी यह है कि हमारे ऊपर ज्यादा बोझ न हो, क्योंकि इन्सान जब दौड़ लगाता है तो सारे सामान को यहां तक कि अपने ज़रूरी कपड़ों के सिवा हर चीज़ किनारे रख देता है, ताकि सही तरह से दौड़ सके, लिहाज़ा उसी तरह हमको रुहानियत के मैदान में दौड़ने के लिए यह ज़रूरी होगा कि हम अपने गुनाहों का बोझ उतार दें,

ताकि दौड़ने में आसानी हो सके, इसीलिए रोज़े का मक्सद बयान करते हुए फ़रमाया गया कि इसका मक्सद मुत्तकी बनना है और तक़वे का फ़ायदा यही है कि वह गुनाहों से हटाता चला जाता है।

अल्लाह तआला ने इन्सान के वास्ते रोज़े को आसान करने के लिए जो असबाब हो सकते थे वह मुहैया फ़रमा दिया, क्योंकि अल्लाह तआला ने दुनिया को दारुल असबाब बनाया है, इसलिए ऐसे असबाब भी रख दिये हैं ताकि जो सुन्नत के मुत्तबिईन हैं उनको रोज़ा रखने में परेशानी न हो, लिहाज़ा जितनी चीज़ें रख्ने डालने वाली हैं उन सब चीज़ों को रोज़े में बन्द कर दिया गया यानि जो सरकश शयातीन हैं, उनको कैद कर दिया गया, शैतान इस तौर पर बांध दिये जाते हैं कि वह रोज़ेदार को नुक़सान नहीं पहुंचा पाते, इसके अलावा रमज़ान में जन्नत के दरवाज़े खोल दिये जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बन्द कर दिये जाते हैं, दरवाज़ों के खोल दिये जाने का मतलब यह होता है कि जन्नत से ख़ास किस्म की हवा आने लगती है जिसकी कैफ़ियत अगरचे हर शख्स महसूस नहीं करता लेकिन जो अहलुल्लाह हैं वह ज़रूर महसूस करते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बन्द कर दिये जाने का यह मतलब है कि इन्सानों पर उसके जो बुरे असरात पड़ रहे होते हैं वह ख़त्म हो जाते हैं।

जिस तरह मरिज़द में फैन या एसी लग जाने से इन्सान को जिस तरह राहत महसूस होती है और जिस कद्र ज्यादा तादाद में यह लगे होते हैं, उसी कद्र राहत महसूस होती है, बिल्कुल उसी तरह जन्नत की खुशगवार हवा पाने का मामला है कि इन्सान जिस कद्र अपना ताल्लुक अल्लाह से कायम करता है उसको उसी कद्र कल्बी राहत का मज़ा हासिल होता है।

हज़रत शाह अब्दुर्रहीम साहब रायपूरी (रह0) के मुतालिक आता है कि आप पूरे रमज़ान कुछ नहीं खाते थे, बल्कि मुश्किल से एक या आधी प्याली चाय पीते थे, उनके ख़लीफ़ा व जानशीन हज़रत अब्दुल कादिर रायपूरी (रह0) ने एक दिन अर्ज़ किया: हज़रत! इस तरह तो बहुत कमज़ोरी आ जाएगी। हज़रत ने जवाब दिया: अब्दुल कादिर! हकीकत तो यह है कि इस हाल में मुझे जन्नत का मज़ा आ रहा है। मालूम

हुआ कि अस्ती रोज़े की लज़्जत अगर किसी को नसीब हो जाए तो उसको दुनिया में ही जन्नत का मज़ा महसूस होगा, जिसका फ़ायदा यह होगा कि इन्सान बुरी बात कहने, झूठ बोलने और ज़बान के गलत इस्तेमाल से भी महफूज़ रहेगा।

रोज़ा इन्सान को रुहानी एतबार से भी आगे बढ़ाने का बेहतरीन ज़रिया है और इन्सान को गुनाहों के बोझ से हल्का करने का बेहतरीन नुस्खा है, क्योंकि बक़िया फ़राए़ज़ की अदायगी में आम तौर पर लोगों को पता चल जाता है, लेकिन रोज़ा ऐसी चीज़ है कि उसकी अदायगी का सिवाय अल्लाह के किसी को इल्म नहीं होता, इसलिए कि जब इन्सान वुज़ू करता है तो अगरचे चुपके से थोड़ा सा पानी भी पी ले, तो किसी को मालूम नहीं हो सकता कि उसने पानी पिया है, लेकिन बन्दा ऐसी ग़लत हरकत नहीं करता है, यही वजह है कि अल्लाह तआला फ़रमाता है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूँगा, इससे ऊँची बात कुछ नहीं हो सकती, मालिक खुद कह रहा है कि हर चीज़ का बदला तो नाप-तौल कर दिया जाएगा, लेकिन जब रोज़े का नम्बर आएगा तो उसका बदला मैं खुद अपने एतबार से दूँगा।

रोज़ेदार के मुतालिक रसूलुल्लाह (स0अ0व0) का इरशाद है कि अल्लाह को उसके मुंह की बू मुश्क की खुशबू से ज्यादा पसंद है, यह भी मुहब्बत की बात है, जिसको जिससे मुहब्बत होती है, तो उसके अन्दर बदबू भी नहीं आती।

रोज़ेदार को अपनी ज़बान की हिफ़ाज़त ख़ास तौर से करना ज़रूरी है, लेकिन आजकल रोज़े की हालत में भी झूठ, ग़ीबत और गाली-गलौज जारी रहता है, ज़ाहिर है ऐसे रोज़े का अल्लाह के यहां कोई अज्ञ मिलने वाला नहीं है, इसलिए अगर हम यह चाहते हैं कि अपने रोज़े को रोज़ा बनाएं तो उन तमाम बातों का ख़्याल रखना पड़ेगा, वरना रमज़ान हो या कोई भी महीना हो इन्सान को कुछ भी फ़ायदा हासिल होने वाला नहीं है, लेकिन अगर कोई शख्स सही नियत के साथ इन तमाम बातों से परहेज़ करते हुए अज्ञ की लालच में रोज़ा रखे तो अल्लाह उसके तमाम गुनाहों को बख्शा देगा।



उम्मत की ख़रताहाली और छवृ के द्वायी

मौलाना डॉक्टर लईदुरहमान आज़मी नद्वी

उम्मते इस्लामिया आज जिस नाजुक दौर से गुज़र रही है, वह इस उम्मत की तारीख में बहुत अहम और तश्वीशनाक मरहला है, मुसलमान जहां भी पाए जाते हैं ख़ाह वह आलमे इस्लाम हो या गैर इस्लामी मोमालिक, हर जगह वह मिनहैसुल कौम कमज़ोर, पसमान्दा, मज़लूम और ज़ख्मखुर्दा हैं, उनकी हालत उस शिकस्तखुर्दा फौज की सी है जो मैदाने जंग से पस्पा होकर लौटे और हमेशा के लिए उस पर ज़िल्लत व कमतरी का एहसास मुसल्लत हो जाए, जिस मुल्क को आप चाहें देख लें और जिस इलाके पर चाहें नज़र दौड़ा लें, सबसे कमज़ोर और म़ालूब सिर्फ मुसलमानों का तबका मिलेगा।

अगरचे बाज मुस्लिम मोमालिक ऐसे हैं जहां मुसलमान बजाहिर खुशहाल, गालिब और ताकतवर हैं, लेकिन अन्दरूनी तौर पर वह भी ज़हनी गुलामी, एहसासे कमतरी में मुब्लिला हैं, वह बातिनी हैसियत से बिल्कुल शिकस्तखुर्दा और मरऊब हैं, उन पर दूसरी तरक़ी याफ़ता कौमों के अफ़कार व नज़रियात का ऐसा ग़ल्बा है कि वह ज़बाने हाल से इस्लाम को एक बोसीदा मज़हब, एक रुज़अत पसंदाना रवैया और एक करमखुर्दा निज़ाम तसव्वुर करते हैं।

इस सूरतेहाल का मुँकाबला करने के लिए अगरचे बहुत से ग़मगुसाराने मिल्लत और हमदर्दाने उम्मत अपनी-अपनी हैसियत के मुताबिक कोशिश कर रहे हैं और तमाम इस्लामी और दीनी जमाअतें उन नाखुशगवार हालात को महसूस कर रही हैं और उनको बदलने के लिए जद्दोजहद में मसरूफ हैं, लेकिन हकीकत यह है कि यह इस उम्मत की तारीख का वह नाजुकतरीन मरहला है जिससे गुज़रने के लिए हमारी यह तमाम कोशिशें उसी वक्त बारावर हो सकती हैं जब हम कमतरी, मग़लूबियत और मज़लूमियत का एहसास ख़त्म करके अपने आप को उस मन्सबे इमामत व क़यादत का अहल न बना लें जो हमारे और सिर्फ हमारे लिए मख़सूस है, जब हम सही मायने में ख़लीफतुल्लाह बनकर जिम्मेदारी का एहसास कर लें।

लेकिन आज इस तरक़ी याफ़ता दुनिया में हमने अपना मकाम सबसे पीछे रखा है, हम माद्दापरस्त कौमों के गुलाम बनकर ज़िन्दगी गुज़ारने में फ़ख महसूस करने लगे हैं, हम उस ख़ालिस माद्दापरस्त तहज़ीब की तक़लीद और ख़ोशाचीनी को तरक़ी और तमदून की अलामत समझने लगे, हमने यह तय कर लिया है कि इस दुनिया में ज़िन्दा रहने के लिए उन कौमों की इब्तिदा व तक़लीद वक्त का एक अहमतरीन फ़रीज़ा है और मस्लहत का तक़ाज़ा है।

इसी तर्ज़े अमल का अंजाम है कि मुसलमान अपनी मज़हबी तालीमात व शआएर और उसकी रुह से बिल्कुल कट चुका है और उसने वह किरदार अदा करना शुरू कर दिया है जो वक्त की सबसे ज़लील और कमज़ोर और पस्त हिम्मत कौम अदा करती है और जो कौम क़यादत व इमामत का खुदादाद मन्सब लेकर आयी थी, वही आज अपने ज़माने की पैरों और मुक़लिद है।

लेकिन इस बिगड़ी हुई दुनिया और तरक़ी के आखिरी नुक्ते तक पहुंची हुई इस तहज़ीब के धारों में एक तबका वह भी मौजूद है जो हर हाल में इस्लामी निज़ाम को काबिले अमल और उसी को इन्सानियत के सारे दुख-दर्द का इलाज तसव्वुर करता है, वह हालात से नबरदआज़मा होने के लिए इन तमाम तदबीरों और मसाएल को बरूए कार लाता है जिनकी इस्लाम इजाज़त देता है और उसके लिए हिम्मत अफ़ज़ाई करता है।

यह उन दाइयों और दाइयाना ज़बा रखने वाले उन अफ़राद का तबका है जो इस्लाम की सही फ़हम व उसके सही मंशा व मुदार से वाकिफ़ है, वह यकीन रखता है कि दुनिया का सारा बिगड़, सारी ख़राबियां और हर तरह की बुराइयां और फ़सादात का सरचशमा मज़हब से बेताल्लुकी हैं और उस खुदा बेज़ार तहज़ीब का नतीजा है जो आज सारी दुनिया पर मुसल्लत है।

यह पुरजोश और ईमान व अमल के ज़ज्बे से लबरेज़ वह अफ़राद हैं जो इस्लाम की हक़कानियत, उसकी अद्वियत, उसकी हमारी और उसके बुलन्द तसव्वुरात पर पुख्ता ईमान रखते हैं, जो मुनकिर को देखकर खुश नहीं रह सकते, जो गुनाहों को फ़रोग पाते हुए देखकर तग़ाफ़ुल नहीं बरत सकते, जिनकी आखिरी तमन्ना इस्लाम की सरबुलन्दी है और वह हर मर्ज़ का इलाज इस्लाम और सिर्फ़ इस्लाम को समझते हैं।

तक़वा क्या है?

बिलाल अब्दुल हयि हसनी नदवी

अल्लाह तआला ने तक़वा की बात सहाबा किराम (रजि०) के लिए लाज़िम कर दी है, वह हज़रात तक़वा के मकाम के लिए सबसे बढ़कर मुस्तहिक हैं, वाक़्या यह है कि अल्लाह ने सहाबा (रजि०) को जो बुलन्द मकाम अता फ़रमाया था वह इसी तक़वा की बात थी, अगर ज़ाहिर तौर पर देखा जाए तो बाज़ मर्तबा ऐसा लगता है कि उनके बाद आने वाले लोगों ने इससे ज़्यादा नेक आमाल किये हैं, लेकिन मसला तन्हा आमाल का नहीं है बल्कि आमाल के अन्दर जो कैफ़ियत पैदा होती है अस्ल वह कैफ़ियत मतलूब है, जिसके नतीजे में अल्लाह के यहां कुबूलियत का फ़ैसला होता है, एक हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह (स0अ0व0) ने सहाबा किराम की इसी कैफ़ियत को बताया है:

“अगर तुममें से कोई शख्स उहद के पहाड़ के बराबर ख़र्च कर दे तब भी वह किसी सहाबी के एक या आधे मद के बराबर भी नहीं हो सकता।” (सही बुख़ारी: 3673)

इस हदीस से साफ़ पता चलता है कि अल्लाह के रास्ते में सहाबा (रजि०) का छोटा और बहुत मामूली दिया हुआ सदक़ा भी बड़ी अहमियत रखता है, उनका इन्तिहाई मामूली काम भी बाद में आने वालों के बड़े-बड़े कामों पर भारी है, ख़ाह बाद में आने वालों के काम कितने ही बड़े क्यों न हो जाएं, लेकिन वह सहाबा कि कामों को नहीं पहुंच सकते जो देखने में बहुत मामूली हैं, उसकी वजह यह है कि कामों की कुबूलियत सिर्फ़ ज़ाहिरी तौर पर नहीं होती, बल्कि बुनियादी तौर पर इसका अस्ल मेयार अन्दर की कैफ़ियत नीज़ इख़लास और रज़ा—ए—इलाही की नियत है, आदमी जब अल्लाह की ज़ात पर यक़ीन करते हुए आखिरत के सवाब की लालच में यह काम करता है तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला इस काम के अन्दर ताक़त पैदा फ़रमा देते हैं और यही तक़वे की बात है।

बातिनी तक़वे की अहमियतः

तक़वा ज़ाहिर में भी होता है, लेकिन हकीकत में

अगर देखा जाए तो तक़वा अन्दर की एक सिफ़त है जिसका ज़िक्र अन्दर की एक आयत में फ़रमाया गया, इरशादे इलाही है:

“अल्लाह को उनका गोशत और ख़ून हरगिज़ नहीं पहुंचता, हां उसको तो तुम्हारे (दिल) का तक़वा पहुंचता है।” (सूरह हज़: 37)

इस आयत से अंदाज़ा किया जा सकता है कि हमारे ज़ाहिरी कामों की नवीयत क्या है? बड़े-बड़े दावत का काम करने वाले और ज़ाहिरी तौर पर दीन का काम करने वाले, जिनसे बाज़ मर्तबा बड़ा फ़ायदा भी पहुंच रहा होता है और बाज़ मर्तबा लोगों को धोखा होने लगता है और खुद काम करने वालों को धोखा होने लगता है, उनको भी इस पर गौर करने की ज़रूरत है कि हमारे कामों का मक़सद क्या है? हमारे कामों में हमारी नियत क्या है और इसमें हमारे दिल की कैफ़ियत क्या है? अगर अल्लाह न करे उनके ज़रिये हमें अपना नाम चाहिए, अपनी शोहरत चाहिए, जैसा कि एक मिज़ाज बनता चला जा रहा है। अल्लाह हमें माफ़ करे और हमारी नियतों को दुरुस्त करे, तो हमारे यह काम बिल्कुल बेसूद हैं, बुख़ारी शरीफ़ की एक रिवायत ऐसी है जिससे रोंगटे खड़े हो जाएं, अल्लाह के रसूल (स0अ0व0) ने फ़रमाया:

“अल्लाह दीन की तक़वियत ऐसे शख्स से भी फ़रमा देता है जो फ़ासिक़ व फ़ाजिर हों।”

मालूम हो रहा है कि अगर किसी से दीन का काम हो रहा है, तो यह अरलन कुबूलियत की दलील नहीं है, कुबूलियत की दलील अल्लाह की रज़ा, अल्लाह के दीन का फ़हम और उसको अपनी ज़िन्दगी में पूरी तरह से नाफ़िज़ करना, अपने आप को इसके मुताबिक़ ढालना और अपनी ज़िन्दगी को इसके मुताबिक़ बनाना और हमारी जो अरल बुनियादी ज़िम्मेदारी है उस को अदा करना है, हमने सारी दुनिया को सही रास्ता बताया, लेकिन अल्लाह न करे हम खुद सही रास्ते पर न चले और

सारी दुनिया जन्नत में चली गई और हमारे बारे में अल्लाह न करे जहन्नम का फैसला हुआ तो हमें क्या मिला?

बातिनी कैफियत पर तवज्जे की ज़रूरत?

तक़वा की अन्दरूनी कैफियत की बहुत ज़्यादा अहमियत है, दीन के बड़े-बड़े काम करने वाले, बड़े-बड़े मदारिस कायम करने वाले, दुनिया में तब्लीग का काम करने वाले, बड़ी-बड़ी तस्नीफ़ व तालीफ़ का काम करने वाले, ज़ाहिरी तौर पर अपना पूरा माल अल्लाह के रास्ते में दे देने वाले और उसके अलावा जो बड़े-बड़े काम करने वाले हैं, इस तरह के लोगों के बारे में हदीस में सख्त अल्फ़ाज़ आते हैं कि क़्यामत में उन सबको जमा किया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि तुम यह जो दुनिया में काम कर रहे थे तो तुम्हारे इस काम का मक़सद क्या था? तुम अल्लाह के लिए कर रहे थे या कोई और मक़सद था? वह जवाब देंगे कि हमने लोगों को अल्लाह के लिए बताया, पढ़ाया और सिखाया, तो अल्लाह कहेगा कि तुमने तो यह सब इसीलिए किया ताकि लोग तुम्हें कारी या अल्लामा कहें, बड़ा आलिम कहें, सो तुम्हें दुनिया में कहा जा चुका, हदीस में आता है कि ऐसे शख्स को मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। फिर वह शख्स लाया जाएगा जो राहे खुदा में शहीद हुआ हो, अल्लाह उससे कहेंगे कि मैंने तुझे कूवत दी थी तो तूने क्या किया? वह कहेगा कि ऐ अल्लाह! मैंने वह कूवत तेरे रास्ते में कुर्बान कर दी, अल्लाह फ़रमाएगा कि तू झूठ कहता है, तूने इसलिए जान दी थी कि लोग तुझे शहीद कहें, बहादुर व ग़ाज़ी कहें और यह सब दुनिया में हो चुका, फिर उसको मुंह के बल जहन्नम में डाल दिया जाएगा। इसी तरह वह शख्स लाया जाएगा जिसको बड़ा माल मिला होगा, अल्लाह कहेगा कि मैंने तुझे सारी दुनिया के माल दिये, तूने उनका क्या किया? वह कहेगा कि ऐ अल्लाह! मैंने कोई रास्ता नहीं छोड़ा जिसमें तेरे लिए ख़र्च न किया हो, अल्लाह फ़रमाएगा कि तूने इसलिए ख़र्च किया कि लोग तुझे साहिबे ख़ैर कहें, मुख्यर कहें और ऐसा ही हुआ कि दुनिया में तुझे सखी कहा जा चुका, फिर उसको भी मुंह के बल जहन्नम में डाल दिया जाएगा।

इस हदीस से भी यही मालूम हुआ कि ज़ाहिरी आमाल कुबूलियत की बुनियाद नहीं और न ही यह आमाल अल्लाह के कुर्ब व रज़ा की बुनियाद है, बल्कि

अल्लाह के कुर्ब व रज़ा की अस्ल बुनियाद दिल की कैफियत और दिल का तक़वा है जिसको अल्लाह की रज़ा और इख्लास कहते हैं, जिसके बाहर आदमी का कोई भी अमल अल्लाह की बारगाह में कुबूल नहीं होता, इसीलिए तक़वे की अन्दरूनी कैफियत पर हर शख्स को तवज्जे देने की ज़रूरत है।

तक़वे का मफ़हूम

तक़वे का मफ़हूम समझने में हमारे समाज में बड़ी ग़लतफ़हमी है, अगर किसी शख्स की दाढ़ी ख़ूब अच्छी है, वह कुर्ता-पाएजामा पहनता है और दीगर ज़ाहिरी आमाल जो हर एक को नज़र आते हैं वह अच्छे हैं, तो लोग समझते हैं कि फ़लां शख्स बड़ा मुत्तकी है, यक़ीनन यह सब आमाल तक़वा के मज़ाहिर हैं, लेकिन सिर्फ़ यह तक़वा नहीं है, अस्ल तक़वे का ताल्लुक़ तो दिल से है और उसके साथ-साथ जो हराम चीज़ें हैं और जो उसके साथ-साथ मुश्तबेहात हैं उनसे बचने की जो शर्त है वह भी उसमें बुनियादी तौर पर शामिल है, जब यह पूरी कैफियत हमारे अन्दर आ जाए, यानि जो चीज़ें करनी हैं वह करें और जिन चीज़ों से बचना है उनसे बचें, जो अमल करना है वह अल्लाह के लिए करें और जिन चीज़ों से बचना है वह भी अल्लाह के लिए ही हो, यह चीज़ तक़वा में शामिल है।

बाज़ मर्तबा आदमी बहुत सी चीज़ों से बचता है तो अल्लाह के लिए नहीं बचता, बल्कि लोगों की कील व काल के सबब बचता है, बेशक यह भी ठीक है कि कम से कम इसी वजह से आदमी किसी बड़े गुनाह से बच गया और किसी शख्स के कहने सुनने की वजह से गुनाह नहीं किया, यह तो अल्लाह की रहमत है कि बुराई के इरादे पर आदमी के ऊपर गुनाह का बबाल नहीं होता, लेकिन इस पर जो अज्ञ मिलता है उस अज्ञ से वह शख्स महरूम रहेगा, क्योंकि अज्ञ तब मिलेगा जब आदमी अल्लाह के डर से गुनाह व बुराई छोड़े, न कि लोगों के खौफ़ और कील व काल से, उसका यह भी फ़ायदा है कि आदमी ने गुनाह छोड़ने का जो भी अमल किया उस पर भी उसको सवाब मिलेगा और यह बड़ी नेअमत है।

तक़वा के मज़ाहिर को अखिलयार करने और उन पर तवज्जो देने की हमें ज़रूरत है और सबसे बढ़कर अपने अन्दर तक़वे की इस कैफियत को पैदा करना है जिस का नाम इख्लास है।

निकाह के छन्द ग्रसाएल

मुफ्ती राष्ट्रिय हुसैन नदवी

मेहर के मराएल

मेहर के माने:

मेहर उस माल को कहते हैं जो अक्दे निकाह में बीवी के हक में शौहर के जिम्मे लाज़िम होता है, इसको सिदाक और दूसरे नामों से भी अरबी ज़बान में मौसूम किया गया है। (शासी: 2 / 357)

किताब व सुन्नत में मेहर अदा करने की ताकीदें

किताब व सुन्नत में कई जगह मेहर अदा करने का हुक्म दिया गया, मसलन कुरआन मजीद में है:

“तुम लोग बीवी को उनके मेहर खुशदिली से दिया करो।” (सूरह निसा: 4)

दूसरी जगह है:

“उन (महरमा औरतों) के अलावा तुम्हारे लिए सब औरतें इस शर्त पर हलाल हैं कि तुम उनको अपने माल के बदले तलब करो।” (सूरह निसा: 24)

और हज़रत अबूहुरैरा (रज़ि०), हज़रत सुहैब बिन सिनान (रज़ि०) नीज मैमूना कुरदी अन अबीया के हवाले से मरवी है कि नबी करीम (स०अ०व०) ने फ़रमाया:

“जो शख्स कम या ज्यादा मेहर पर किसी औरत से शादी करे और उसके दिल में उस औरत के मेहर को अदा करने का इरादा न हो, उसने उसको धोखा दिया हो और औरत को मेहर अदा किये बगैर मर जाए तो कथामत के दिन अल्लाह तआला से ज़ानी की हैसियत में मिलेगा।” (मुसनद अहमद: 18939)

और एक हदीस में मेहर ही की तरफ़ इशारा करते हुए रसूलुल्लाह (स०अ०व०) ने फ़रमाया:

“जिन शर्तों को तुम पूरा करते हो उनमें पूरा करने का सबसे ज्यादा हक रखने वाली वह शर्त है जिसके ज़रिये औरत से फ़ायदा उठाने को तुम अपने लिए हलाल कर लेते हो।” (बुखारी: 5151)

मेहर की मिक़दार कितनी होनी चाहिए?

अहनाफ़ के नज़दीक मेहर की कम से कम मिक़दार दस दिरहम चांदी या उसके बक़द्र रूपये या कोई और चीज़ है, दस दिरहम की मिक़दार जो मौजूदा वज़न के एतबार से 30 ग्राम 618 मिलीग्राम (या याद रखने के लिए कहें कि 31 ग्राम) चांदी है, इससे ज्यादा मिक़दार की शरीअत ने तअय्युन नहीं किया है, अलबत्ता मेहर मुक़र्रर करते वक्त शौहर की माली इस्तेताअत और औरत की ख़ानदानी हैसियत दोनों का लिहाज़ करना चाहिए, न इतना कम मेहर मुक़र्रर किया जाए कि उससे लड़की वालों को शर्मिन्दगी महसूस हो और शौहर उसको हाथ का मैल समझे और न इतना ज्यादा मुक़र्रर किया जाए कि चाह कर भी शौहर के लिए उसकी अदायगी मुश्किल हो, बेहतर यह है कि रसूलुल्लाह (स०अ०व०) अज़वाजे मुतहरात और अपनी बनाते ताहिरात का जो मेहर मुक़र्रर किया था, अगर माली वुसअत हो तो उतना मेहर मुक़र्रर करे, यह मेहर क्या था? नीचे दी गई हदीसों में देखें:

1. हज़रत उमर (रज़ि०) से रिवायत है: “मुझे नहीं मालूम की नबी करीम (स०अ०व०) ने बारह औकिया से ज्यादा पर अपनी अज़वाजे मुतहरात में से किसी से शादी की हो या अपनी बेटियों में से किसी का निकाह कराया हो।” (तिरमिज़ी: 1114)

2. और हज़रत आयशा (रज़ि०) से नबी करीम (स०अ०व०) की मेहर के बारे में पूछा गया तो हज़रत आयशा ने फ़रमाया: “बारह औकिया और नश था, फिर हज़रत आयशा ने फ़रमाया: तुम जानते हो कि नश क्या है? मैंने कहा: नहीं, फ़रमाया: निस्फ औकिया, तो कुल यह पांच सौ दिरहम हुए, यही आंहज़रत (स०अ०व०) का अपनी अज़वाजे मुतहरात के लिए मेहर था।” (मुस्लिम: 1426)

हज़रत उमर (रज़ि०) और हज़रत आयशा (रज़ि०) की अहादीस में तत्वीक देते हुए उलमा ने फ़रमाया कि

हज़रत उमर (रजि०) ने कस्त का ज़िक्र नहीं किया और हज़रत आयशा (रजि०) ने कर दिया, एक दिरहम की मिक़दार तीन ग्राम 618 मिली ग्राम होती है, इस तरह पांच सौ दिरहम की मिक़दार मौजूदा वज़न के एतबार से एक किलो पांच सौ तीन ग्राम 900 मिली ग्राम चांदी या यूं कहिए कि एक किलो पांच सौ इक्तीस ग्राम चांदी होती है, तो अगर गुंजाइश हो तो उसी मिक़दार को मुकर्रर करना बेहतर होगा, अल्लामा नववी (रह०) ने शरह मुस्लिम में इसी को मुस्तहिब करार दिया है, लेकिन यह वाज़ेह रहे कि इससे ज़्यादा मेहर की भी अगर वुसअत हो तो मुकर्रर की जा सकती है, चुनान्चे हज़रत उम्मे हबीबा (रजि०) का रसूलुल्लाह (स०अ०व०) से निकाह नजाशी ने पढ़ाया था और मेहर के तौर पर चार हज़ार दिरहम अपनी तरफ से दिये थे।

(अबूदाऊद: 2107)

इसी तरह कम मेहर पर भी निकाह किया जा सकता है, चुनान्चे हज़रत अबू सईद खुदरी (रजि०) से रिवायत है कि आंहज़रत (स०अ०व०) ने हज़रत उम्मे सलमा से कुछ घरेलू सामान को महर मुकर्रर करके निकाह किया था, जिसकी कीमत दस दिरहम थी।

(अलमोअजमुल औसत: 464, 1 / 147)

मेहर फ़ातमी क्या है?

ऊपर बयान किया गया है कि रसूलुल्लाह (स०अ०व०) ने अपनी तमाम बेटियों का मेहर पांच सौ दिरहम मुकर्रर किया था, ज़ाहिर है हज़रत फ़ातिमा का मेहर भी यही था, तो मेहरे फ़ातमी की मिक़दार एक किलो पांच सौ इक्तीस ग्राम चांदी है, बाज़ उलमा ने इसकी मिक़दार इससे ज़्यादा भी बताई है, चुनान्चे मुफ़्ती अब्दुर्रहीम साहब लाजपुरी ने तहरीर फ़रमाया कि अगर पांच सौ दिरहम की मिक़दार एक सौ इक्तीस तोला मानी जाए तो मुन्दरजा बाला मिक़दार होगी, लेकिन कई उलमा ने इसकी मिक़दार एक सौ पचास तोला करार दी है, उन उलमा के अक़वाल नक़ल करने के बाद फ़रमाते हैं:

“यह तीन अक़वाल हैं, उनमें से जिस पर अमल करना चाहे कर सकता है, मगर बेहतर और एहतियात इसमें है कि एक सौ पचास तोला चांदी मेहर मुकर्रर की जाए (और आजकल के नए तौल के एतबार से एक

तोला 11 ग्राम 664 मिलीग्राम का होता है, तो एक सौ पचास तोला के तक़रीबन 1749 ग्राम 600 मिली ग्राम होते हैं, किस्त पूरी करके 1750 ग्राम शुमार किये जाएं”

(फ़तावा रहीमिया: 6 / 445)

लेकिन आजकल अक्सर उलमा मेहरे फ़ातमी की वही मिक़दार बताते हैं जिसका ज़िक्र ऊपर किया गया, यानि एक किलो पांच सौ इक्तीस ग्राम चांदी।

शरई मेहर:

राकिम के दयार में बहुत से लोगों में यह बात मशहूर थी कि शरई मेहर तीन रुप्ये दस आना है, ऊपर की तफ़सीलात से वाज़ेह हो गया कि इसकी कोई हैसियत नहीं है, गालिबन जब चांदी का सिक्का राएज था उस वक्त किसी ने अक़ल मेहर दस दिरहम की यह मिक़दार बताई होगी जो शरई मेहर के तौर पर शोहरत पा गई।

बगैर मेहर मुकर्रर किये निकाह करना

अगर मेहर तय किये बगैर निकाह कर लिया, या यह तय किया कि मेहर नहीं देंगे तो निकाह हो जाएगा लेकिन अगर दखूल कर लिया तो मेहरे मिस्ल वाजिब होगा, यानि देखा जाए कि उसकी बहनें, फूफ़िया या वालिदा की तरफ से दीगर अहले ख़ानदान ख़ातीन का मेहर क्या रहा है, उसी को बुनियाद बनाकर मेहर देना होगा, और अगर मियां-बीवी किसी ख़ास मिक़दार पर समझौता करना चाहें तो यह भी कर सकते हैं, लेकिन अगर दखूल या ख़लवते सहीहा से पहले तलाक दे दी तो ऐसी सूरत में मता यानि एक जोड़ा कपड़ा शौहर पर देना लाजिम होगा।

(हिन्दिया: 1 / 304)

गैर माल को मेहर मुकर्रर करना

मेहर का माल होना अहनाफ़ के नज़दीक ज़रूरी है, लिहाज़ा अगर मेहर के तौर पर तय किया कि मैं एक साल बीवी की ख़िदमत करूंगा, या कुरआन की तालीम दूंगा, तो यह मेहर सही नहीं है, लिहाज़ा मेहरे मिस्ल वाजिब होगा, इसी तरह अगर मेहर के तौर पर मुरदार या ख़ून मुकर्रर करे तो तय करना सही नहीं होगा और मेहर की मिस्ल वाजिब होगी, यही हुक्म उस वक्त भी होगा जब शराब या ख़िन्ज़ीर का मेहर मुकर्रर करे।

(हिन्दिया: 1 / 303)

छक्कीकृत-ए-खौमा

अब्दुस्सुल्हान नाखुदा नदवी

रोज़ा इन्सान के दिल व दिमाग़ को तहारत बख्शता है, माद्दा परस्ती से इन्सान को बुलन्द करता है, घटिया कैफियत से पाक व साफ़ करता है, अखलाकी गिरावट से बहुत ऊपर उठाता है, ख़ौफ़—ए—खुदा का एहसास पैदा करता है, मुसीबतों का बर्दाश्त करने का हौसला बख्शता है और भूखे प्यासे लोगों का दर्द पैदा करता है।

अरबी ज़बान में रोज़ा के लिए “सौम” का लफ़्ज़ आता है, जिसका मतलब लुगत में खाने—पीने, बोलने, शादी करने और चलने—फिरने से रुक जाने और बाज़ रहने का है।

शरई इस्तिलाह में रोज़ा तुलूअ फ़ज्ज से लेकर गुरुबे आफ़ताब तक खाने—पीने और मुबाशरत करने से बतौर इबादत रुके रहने का नाम है, रोज़ा इस्लाम के पांच अरकान में से एक रुक्न है, सन् 6 हिजरी से रमज़ान के रोज़े फ़र्ज किये गए, किताब व सुन्नत और इजमा—ए—उम्मत से उसकी फ़र्जियत साबित है, बगैर किसी शरई उज्ज़ के इस इबादत को छोड़ने वाला सख्त गुनाहगार और उसकी फ़र्जियत का इनकार करने वाला इस्लाम से ख़ारिज है, कुरआन मजीद में रोज़े की फ़र्जियत का तज़किरा करते हुए इरशाद—ए—इलाही है:

“ऐ लोगों जो ईमान लाए हो तुम पर रोज़े फ़र्ज किये गये जिस तरह तुमसे पहले गुज़रे हुए लोगों पर फ़र्ज किये गये थे ताकि तुम मुत्तकी बनो।” (सूरह बक़रह: 183)

दरहकीकृत इस आयत के ज़रिये ख़ाहिशाते नफ़सानी पर कन्ट्रोल करने का सलीका सिखाया गया है।

रमज़ान के रोज़ों की फ़ज़ीलत को बयान करने वाली हदीसें बहुत सी हैं, हम कुछ अहम हदीसें नक़ल करते हैं:

“जो शख्स रमज़ान में ईमान के साथ सवाब की उम्मीद में रोज़ा रखता है उसके गुज़रे हुए गुनाह माफ़ हो जाते हैं और जो शख्स शब—ए—क़द्र में ईमान के साथ सवाब की तवक्क़ो रखते हुए इबादत करता है, उसके भी साबिका गुनाह माफ़ कर दिये जाते हैं।” (सही बुखारी)

साबिका गुनाह माफ़ होने का मतलब यह है कि गुनाहे सग़ीरा माफ़ हो जाते हैं और गुनाहे कबीरा की शिद्दत में कमी आती है, कबीरा गुनाहों से माफ़ी के लिए सच्ची पक्की नदामत से भरी हुई तौबा ज़रूरी है, रसूलुल्लाह (स0अ0व0) अपने सहाबा को रमज़ान आने की खुशख़बरी सुनाते और फ़रमाते:

“तुम्हारे लिए रमज़ान का महीना आ गया, यह मुबारक महीना है, अल्लाह तआला ने इसके रोज़े तुम पर फ़र्ज किये हैं, इसमें रहमत के दरवाज़े खोल दिये जाते हैं, और जहन्नम के दरवाज़े बन्द कर दिये जाते हैं और शैतान इस महीने में बन्द कर दिये जाते हैं, इस महीने में एक ऐसी रात है जो एक हज़ार महीनों से बेहतर है।” (मुसनद अहमद)

हज़रत सहल बिन साद (रज़ि0) फ़रमाते हैं कि नबी करीम (स0अ0व0) ने इरशाद फ़रमाया:

“जन्नत में एक दरवाज़ा है जिसे रैय्यान कहा जाता है, क़्यामत के दिन रोज़ेदार उस दरवाज़े से दाखिल होंगे, कहा जाएगा: रोज़ेदार कहां है? सब रोज़ेदार खड़े हो जाएंगे, उनके अलावा कोई दूसरा दाखिल नहीं होगा, जब वह दाखिल हो जाएंगे तो

दरवाजा बंद कर दिया जाएगा, कोई दूसरा उस दरवाजे से दाखिल नहीं हो सकेगा।” (सही बुखारी)

बाज रिवायात में इसका भी इजाफा है कि जो उस दरवाजे से दाखिल होगा वह कभी प्यासा नहीं होगा, रोजे में भूख व प्यास दोनों बर्दाश्त किये जाते हैं, अलबत्ता प्यास की बेताबी भूख से ज्यादा होती है, इसलिए उनको यह बदला मिलेगा कि कभी प्यासे नहीं होंगे, रोज़ेदार से मुराद बज़ाहिर वह हज़रात हैं जो फ़र्ज़ रोज़ों के अलावा मज़ीद सुन्नत व नफ़िल रोज़ों के भी आदी हों। (वल्लाहु आलम)

रोजे की फ़र्जियत बताते हुए फ़रमाया गया है: “इससे मुराद फ़र्जियत में यकसानियत है।” रोज़ों की कैफियत में यकसानियत नहीं है, जम्हूर मुहकिमीन का यही कहना है, साबिका लोगों का हवाला तरगीब व तहरीज़ के लिए है, यानि तुम्हारी तरह उन पर भी फ़र्ज़ थे, उनका ज़माना गुज़र चुका, अब तुम्हारा दौर है, अल्लाह की इस इबादत को बेहतर से बेहतर तरीके पर अदा करके दिखाओ, अल्लाह ने अपने एहकामात पर अमल करने के तरीके मुख्तलिफ़ रखे हैं, वह हर एक के अमल को जांचता है, उसका मुतालबा यह है कि भलाइयों में सबक़त की जाए और अपने ज़ज्बा-ए-अमल को बन्दा दिखाये, अल्लाह तआला का इरशाद है:

“अगर अल्लाह चाहता तो तुमको एक ही उम्मत बना देता।” (सूरह माइदा: 48)

यानि शरीअत और रास्ता बिल्कुल एक ही रहता लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, ताकि अपनी दी हुई चीज़ों में तुम्हें आज़माए, ऐ लोगो! तुम भलाइयों में खूब आगे बढ़ो।

हज़रत हसन बसरी (रह0) फ़रमाते हैं कि यहां पर कुरआन में मुराद गुज़री हुई तमाम कौमें हैं। अल्लाह ने उन पर किसी न किसी शक्ल में रोज़ा फ़र्ज़ ज़रूर किया था, बाज हज़रात ने यह तफ़सील

बताई है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रसूलुल्लाह (स0अ0व0) तक हर नबी और उनकी उम्मत पर रोज़ा किसी न किसी शक्ल में फ़र्ज़ था, एक तादाद इससे मुराद यहूद व नसारा को क़रार देती है।

आयत के आखिर में रोज़े का अस्ल मतलब बताते हुए इरशाद हुआ: “लअल्लकुम तत्तकून” यह रोज़े की अस्ल ग़रज़ व ग़ायत है, खौफ़े खुदा का वह एहसास जो ज़िन्दगी के हर मरहले में साथ-साथ रहे, तक़वा कहलाता है, इस एहसास के बाद ज़िन्दगी निहायत पाक व साफ़ हो जाती है, ज़ाहिर व बातिन की यकसानियत पैदा होती है, हर किस्म की मकरूह चीज़ों से तबियत में नफ़रत आ जाती है, गोया रोज़े में हलाल चीज़ों को हराम करके यह पैगाम दिया जाता है कि ज़िन्दगी नाम है हर किस्म की आलूदगी से पाक व साफ़ रहने का, लिहाज़ा कोई शख्स ज़ाहिरी तौर पर लेकिन रोज़े के मकासिद से इन्हिराफ़ करते हुए हराम कामों में भी लगा रहे, तो अल्लाह के नज़दीक वह रोज़ेदार नहीं, महज़ भूखा-प्यासा इन्सान है, रसूलुल्लाह (स0अ0व0) का इरशाद है:

“जो झूठी बातें और झूठे काम न छोड़े तो अल्लाह को भी उसकी कोई ज़रूरत नहीं कि वह अपने खाने-पीने को छोड़े रहे।” (सही बुखारी)

यह भी इरशाद है कि:

“कुछ रोज़ेदार ऐसे हैं जिनको अपने रोज़े से भूख के अलावा और कुछ नहीं मिलता और कुछ शब बेदार ऐसे हैं जिनको अपनी रातों की इबादत से सिवाए नींद छोड़ने के और कुछ हासिल नहीं होता।”

हदीस शरीफ में जिन लोगों का ज़िक्र है हकीक़त में यह वह लोग हैं जो रोज़े से तक़वा का सबक हासिल नहीं करते।

ज़कात – कुछ ज़रूरी हुक्म व मसले



ज़कात इस्लाम का एक ज़रूरी हिस्सा है। कुरआन पाक में जगह–जगह नमाज़ के साथ ज़कात देने पर भी ज़ोर दिया गया है। “आप स0अ0 ने इसे इस्लाम के पांच बुनियादी हिस्सों में से एक बताया है।”

एक हदीस में ये भी इरशाद फ़रमाया: “मुझे हुक्म दिया गया कि लोगों से किताल करने ताकि वो कलिमा शहादत अदा करें, और ज़कात दें।” (बुखारी: 1399)

सहबे निसाब होने के बावजूद ज़कात न अदा करने वालों को कुरआन पाक में जो सख्त तरीन वईद सुनाई गयी है उससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अल्लाह तआला का इरशाद है: “जो लोग अपने पास सोना–चांदी जमा करते हैं और उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते तो (ऐ नबी स0अ0) आप उनको दर्दनाक अज़ाब की खुश खबरी सुना दीजिये, ये दर्दनाक अज़ाब उस दिन होगा जिस दिन उस सोने और चांदी को जहन्नम की आग में तपाया जायेगा, फिर उसके ज़रिये उनकी पेशानी, उनके पहलू और उनकी पीठ को दाग़ा जायेगा (और उनसे कहा जायेगा) ये है वो खज़ाना जो तुमने अपने लिये जमा किया था, तो आज तुम उस खज़ाने का मज़ा चखो जो तुम अपने लिये जमा कर रहे थे।”

लिहाज़ा हर साहबे निसाब मुसलमान के लिये ज़रूरी है कि वो पूरा–पूरा हिसाब करके ज़कात की अदायगी करे। बहुत से लोग बिना हिसाब के ही कुछ रकम या दूसरी चीज़ें ग्रीबों को देकर अपने को ज़िम्मेदारी से बरी समझते हैं, ये तरीक़ा सही नहीं है, पूरा हिसाब लगाकर ज़कात देना ज़रूरी है।

सदके से माल बढ़ता है

ज़कात अदा करने में एक बड़ा बल्कि बुनियादी कारण ये माना जाता है कि इससे माल की एक बड़ी मात्रा हाथ से निकल जायेगी और उसके बदले में कोई चीज़ नहीं मिलेगी। लेकिन कुरआन मजीद में इस ख्याल की काट की गयी है और इसका पूरा इत्मिनान दिलाया

गया है कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से घटता नहीं है, बल्कि इसमें बढ़ोत्तरी होती है।

एक दूसरी जगह माल खर्च करने से जो बेपनाह बरकत व इजाफ़ा होता है उसको कुरआन में एक मिसाल देकर समझाया गया है। अल्लाह तआला का इरशाद है: “अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले की मिसाल उस बीज की तरह है जिसको जब ज़मीन में डाला जाता है तो ज़ाहिरी आंख खाक में मिलकर जाया होते उसे देखती है, लेकिन फिर होता क्या है? अल्लाह तआला उस दाने से पौधा निकालता है, जिसमें सात बालियां निकलती हैं, और हर बाली में सौ दाने होते हैं, इसी तरह हर दाने से सौ दाने हासिल होते हैं।” (सूरह बक़रः 261)

यही मामला अल्ला की राह में खर्च करने वालों के साथ होता है कि ज़ाहिरी तौर पर लगता है कि अपना माल खराब कर दिया लेकिन अल्लाह तआला दुनिया में भी उस पर बरकतों के दरवाज़े खोल देते हैं, और आखिरत में भी इशाअल्लाह उसको कई गुना अज़्र व सवाब मिलेगा।

ज़कात वाजिब होने की शर्तें

ये भी ध्यान रहे कि ज़कात न हर व्यक्ति पर फ़र्ज़ होती है न हर माल पर, बल्कि इसके वाजिब होने के लिये उस व्यक्ति का अक़ल वाला होना और बालिग होना, साहबे निसाब होना, माल पर साल गुज़रना, उस माल का कर्ज़ से ख़ाली होना, इसी तरह उसका हाज़ते अस्लिया से ख़ाली होना शर्त है, एक भी शर्त न पायी जाये तो ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी।

अमवाले ज़कात

जिन चीज़ों पर ज़कात वाजिब है वो बुनियादी तौर पर चार हैं।

- जानवर
- सोना
- व्यापारिक माल
- चांदी (नक़दी भी सोना और चांदी के हुक्म में आती है)

सोने-चांदी का निसाब

चांदी का निसाब दो सौ दिरहम जबकि सोने का निसाब बीस मिसकाल है। हिन्दुस्तान के उलमा की तहकीक़ चांदी के दो सौ दिरहम यानि साढ़े बावन तोला (612.360 ग्राम) और सोने के बीस मिसकाल यानि साढ़े सात तोला (87.480 ग्राम) के बराबर होते हैं। जहां तक नक़दी और व्यापारिक माल का संबंध है तो उनकी मिल्कियत का अन्दाज़ा भी चांदी के निसाब से किया जायेगा यानि अगर किसी के पास चांदी के निसाब के बराबर नक़द रकम या व्यापारिक माल है तो वो शरीअत के अनुसार साहबे निसाब है।

फिर ये भी ध्यान रहे कि सोना-चांदी चाहे इस्तेमाल हो रहे ज़ेवर की शक्ल में हो या गैर इस्तेमाली ज़ेवर की शक्ल में हो, चाहे सिक्कों या जुरूफ़ वगैरह की शक्ल में हो अगर वो निसाब के बराबर है और उस पर साल गुज़र जाता है तो उसकी ज़कात बहरहाल वाजिब हो जायेगी। यही हुक्म नक़द रकम का भी है, लेकिन बक़िया दूसरे माल यानि उरुज़ में ये भी शर्त है कि वो व्यापार की नियत से हों, वरना उन पर ज़कात वाजिब नहीं होगी।

दौलान-ए-दौल का मतलब

किसी के निसाब के बराबर ज़कात का माल है तो अगर साल के बीच में उस माल में इज़ाफ़ा होता है तो उस ज़ायद माल का हिसाब पहले से मौजूद माल की तारीख से किया जायेगा, जब बक़िया माल पर साल गुज़र जाये तो उसकी ज़कात के साथ उस ज़ायद माल की भी ज़कात निकालना ज़रूरी होगा ये नहीं कि हर बढ़ोत्तरी के लिये अलग से साल का हिसाब किया जाये और ये कि साल गुज़रने में अंग्रेज़ी महीनों के बजाये चांद के महीनों का हिसाब किया जायेगा।

किस दिन की मालियत का एतबार होगा

व्यापारिक माल के बारे में गुज़र चुका है कि उन पर ज़कात फ़र्ज़ है। जैसे अगर किसी की दुकान या कोई कारोबार है तो साल गुज़रने के बाद उसके पास जो कुछ नक़दी या सामान है उसकी ज़कात उस पर फ़र्ज़ है और सामान की मिल्कियत लगाते वक़्त उनकी उस दिन की मालियत का एतबार होगा जिस दिन वो उनकी ज़कात अदा कर रहा है।

हाजत-ए-अस्तिया (ज़रूरी ज़रूरतों) का मतलब

जो चीज़ अस्ल ज़रूरतों के लिये हो उसमें ज़कात फ़र्ज़ नहीं होती, अस्ल ज़रूरत की मिसाल में फु़क्हा ने रहने के मकान, पहनने के कपड़े, सवारी के जानवर और गाड़ी, खेती या फैक्ट्री के यन्त्र, और घर के फर्नीचर इत्यादि का ज़िक्र किया है।

ज़कात की मात्रा

ज़कात की वाजिब मात्रा किसी भी माल में उसका चालीसवा हिस्सा या ढाई प्रतिशत तय की गयी है।

शेयर पर ज़कात

ज़कात हर प्रकार के व्यापारिक माल पर वाजिब है चाहे वो जानवरों का व्यापार हो या गाड़ियों का व्यापार हो या ज़मीन का और क्योंकि शेयर भी व्यापारिक माल में दाखिल हैं लिहाज़ा उन पर भी ज़कात फ़र्ज़ है। अगर किसी ने शेयर इ समक़सद से ख़रीदे हैं कि उन पर सालाना नफ़ा हासिल करेगा। उनको बेचेगा नहीं तो उसको अपनी कम्पनी से ख़बर करनी चाहिये कि उसका कितना सामान अचल है जैसे बिल्डिंग और मशीनरी इत्यादि की शक्ल और कितना माल चल है जैसे नक़द कच्चा माल तैयार माल इत्यादि। जितनी सम्पत्ति अचल है उन पर ज़कात नहीं होगी। और जितनी सम्पत्ति चल है उन पर ज़कात वाजिब होगी। अगर कम्पनी के माल की तफ़सील न मिल सके तो इस हालत में एहतियात के तौर पर पूरी ज़कात अदा कर दी जाये। और अगर शेयर इ समक़सद से ख़रीदे हैं कि जब बाज़ार में उनकी कीमत बढ़ जायेगी तो उनको ख़रीद करके लाभ कमायेंगे तो पूरे शेयर की पूरी बाज़ारी कीमत पर ज़कात वाजिब होगी। जैसे आपने पचास रुप्ये के हिसाब से शेयर ख़रीदे और मक़सद ये था कि जब उनकी कीमत बढ़ जायेगी तो उनको बेचकर नफ़ा कमायेंगे। उसके बाद जिस दिन आपने ज़कात का हिसाब निकाला उस दिन शेयर की कीमत साठ रुप्ये हो गयी तो अब साठ रुप्ये के हिसाब से उन शेयर की मालियत निकाली जायेगी और उस पर ढाई प्रतिशत के हिसाब से ज़कात अदा करनी होगी।

प्राविडेन्ड फ़न्ड पर ज़कात

ज़कात फ़र्ज़ होने की एक अहम शक्ल ये भी है कि उस पर इन्सान का मुकम्मल क़ब्ज़ा भी हो। इसी वजह

से फुक्हा ने फरमाया है कि अगर किसी को कर्ज़ दिया और बाद में कर्ज़ लेने वाला उससे इनकार कर रहा है बज़ाहिर उसका मिलना दुश्वार है या किसी जगह डालकर भूल गया या किसी दरिया इत्यादि में गिर गया तो उन रूप्यों की ज़कात वाजिब नहीं होगी। फिर जब गैर मुत्वक्के तौर पर ये माल मिल जाये तो गुज़रे हुए सालों की ज़कात उस पर वाजिब नहीं होगी। ये रकम जिस वक्त मिली है उस वक्त से उसका हिसाब लगाया जायेगा। (हिन्दिया 1 / 187)

जहां तक प्राविडेन्ड फ़न्ड का संबंध है तो इसमें एक हिस्सा वो होता है जो शासनउसमें मिलाकर देता है। जहां तक इस दूसरी इज़ाफी रकम का संबंध है तो चाहे उसे ईनाम कहा जाये या मुलाज़िम की उजरत जिसका अभी मालिक नहीं हुआ है, लिहाज़ा उस पर गुज़रे हुए दिनों की ज़कात वाजिब होने की कोई वजह नहीं है। काबिले बहस फ़न्ड का वो हिस्सा है जो मुलाज़िमत के दौरान तन्खावाह से कटकर जमा होता है इसका मामला ये है कि मुलाज़िमीन को इसकी मिलिक्यत है लेकिन उस पर कब्ज़ा नहीं हासिल है लिहाज़ा इस रकम पर भी गुज़रे हुए दिनों की ज़कात वाजिब नहीं होगी। उल्माए मुहकिकीन का रुझान इसी तरफ़ है।

कर्ज़ का मिन्हा करना

अगर कोई शख्स निसाब का मालिक है लेनिक वो साथ ही कर्जदार भी है तो कर्ज़ के बराबर माल पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। अगर कर्ज़ के बराबर मिन्हा करने के बाद भी निसाब के बराबर माल बच रहा है तो उस पर उसी के बराबर ज़कात वाजिब हो जायेगी।

सोने और चांदी को मिलाना

किसी के पास साढ़े सात तोला (612.480 ग्राम) सोना न हो लेकिन उसके पास कुछ सोना और कुछ चांदी मौजूद हो तो क्या उसके ऊपर ज़कात वाजिब हो जायेगी। इस मसले में दो राय हैं।

1- इमाम शाफ़ी और कई दूसरे हज़रात के नज़दीक उस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। इमाम शाफ़ी ने अपनी किताब अलउम में इस पर बहसकी है कि उसके पास न सोने का निसाब है न चांदी का तो उस पर ज़कात कैसे वाजिब हो सकती है जबकि दोनों अलग-अलग जिंस हैं।

2- दूसरी राय हनफ़ी और कई दूसरे लोगों की है कि अगर दोनों के मिलाने से निसाब पूरा हो जाये तो ज़कात वाजिब हो जायेगी। इस पर बहस बुकैर इब्ने अब्दुल्लाह रज़िया के असर से कि ज़कात निकालने में सहाबा का तरीक़ा चांदी और सोने के मिलाने का था। फिर दोनों कीमत के एतबार से एक ही जिंस है। बहरहाल अक्ली दलील दोनों तरफ़ से मज़बूत हैं लेकिन नक्ली दलील में इस एतबार से फ़रीक अब्ल का मोकिफ़ कुछ मज़बूत करार दिया जाता है कि हज़रत बुकैर की रिवायत हदीस की किताब में नहीं मिलती। फिर इमाम अबू हनीफ़ा और साहिबैन की दरमियान ये इस्तिलाफ़ है कि सोने और चांदी को मिलाने की कैफियत क्या होगी।

इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक दोनों को कीमत के एतबार से मिलाया जायेगा। यानि अगर किसी के पास दो तोला सोना और दो तोला चांदी है तो ये देखा जायेगा कि दो तोला सोना अगर बेच दिया जाये तो क्या साढ़े बावन तोला या उससे ज्यादा चांदी हासिल हो जायेगी। अगर इतनी ज्यादा चांदी हासिल हो सकती है तो वो साहिबे निसाब माना जायेगा। फ़तवा इमाम साहब के कौल ही पर है। जब कि साहिबैन के नज़दीक दोनों को जुज़ के एतबार से मिलाया जायेगा यानि वज़न के एतबार से अगर आधा निसाब सोने का और आधा चांदी या दो तिहाई साने का और एक तिहाई चांदी का या एक चौथाई सोने का और तीन चौथाई चांदी का पाया जा रहा हो तो ज़कात वाजिब हो जायेगी वरना नहीं।

इमाम साहब के मुफ़्ता बिही कौल के मुताबिक़ अगर सोने चांदी की मामूली मिक़दार भी किसी के पास हो तो वो साहिबे निसाब बन जायेगा और उसके लिये ज़कात लेना जायज़ नहीं रहेगा। इतनी मामूली मिक़दार बिल्कुल मामूली लोगों के पास भी आम तौर से रहती है। इस तनाजुर में ये सवाल उठाया जाता है कि क्या मौजूदा हालात में साहिबैन के कौल को अस्तियार किया जा सकता है। इसलिये कि साहिबैन का कौल अस्तियार कर लिया जाये तो इसमें ज़कात देने वाले और लेने वाले दोनों का ख्याल हो जायेगा और तवाज़ुन कायम रहेगा।

राकिम के ख्याल से ऐसा करने की गुंजाइश है। इसलिये कि इस मसले का संबंध हालात के बदलने से

है और इस बात पर इत्तिफाक है कि हालात बदल जाये तो हुक्म बदल जाता है। फिर ये तो इफ़्ता के हुक्म में भी लिखा हुआ है कि इख्तिलाफ़ अगर साहिबैन और इमाम साहिब के बीच में तो मुफ़्ती उनमें से किसी पर भी फ़तवा दे सकता है। लिहाज़ा इज्जितामाई इज्जितहाद के इस दौर में उलमा का इत्तिफाक हो जाये तो इसकी गुंजाहश होगी। फिर इमाम साहब की एक रिवायत साहिबैन के कौल के मुताबिक भी है लिहाज़ा इमाम साहब के इस कौल को इस्तहबाब पर महमूल करके तत्बीक की जा सकती है। मुफ़्ती किफ़ायत उल्ला साहब ने किफ़ायतुल मुफ़्ती में इसी तरह तत्बीक दी है।

बात का खुलासा ये है कि व्यापारिक माल वाले मसले में मुफ़्ता बिही हुक्म से हटने की इजाज़त नहीं दी जा कस्ती जबकि दूसरे मसले में अगर उलमा इत्तिफाक कर लें तो इसकी गुंजाइश है।

ज़कात के मुस्तहिक

ज़कात की हैसियत चूंकि केवल आम इनकाक और इन्सानी मदद की नहीं है बल्कि ये एक अहम इस्लामी इबादत और शरई फ़रीज़ा है, इसलिये शरीअत ने इसके ख़र्च निश्चित कर दिये हैं, अल्लाह तआला का इरशाद है: “ज़कात फ़कीरों, ग़रीबों, आमलीन (ज़कात की जमा व तक़सीम के कार्यकर्ता) मुअलफ़तुल कुलूब, गुलाम, कर्ज़दार, अल्लाह के रास्ते में (जिहाद करने वाले) और मुसाफिरों के लिये, ये अल्लाह की तरफ़ से मुकर्रर हुआ काम है और अल्लाह बड़ा इल्म वाला और हिक्मत वाला है।”

ज़कात के मसारिफ़ कुरआन मजीद की ऊपर जिक्र की हुई आयत में तफ़सील से बयान किये गये हैं। इसके संबंध में बात ये है कि ज़कात सिर्फ़ उन्हीं लोगों को दी जासकती है जो फ़कीर या मिस्कीन हों। यानि जिनके पास या तो माल ही न हो या अगर हो तो निसाब तक न पहुंचता हो। यहां तक कि अगर उनकी मिल्कियत में ज़रूरत से ज्यादा ऐसा सामान मौजूद है जो साढ़े बावन तोला चांदी की कीमत तक पहुंच जाता है तो वो ज़कात के मुस्तहिक नहीं है। ज़कात का मुस्तहिक वो है जिसके पास साढ़े बावन तोला चांदी की मिल्कियत की रक़म या उतनी मालियत का कोई सामान ज़रूरत से ज्यादा न हो। इसमें भी शरीअत का हुक्म ये है कि

मुस्तहिक को मालिक बना दिया जाये और वो जिस तरह चाहे उसे खर्च करे। इसीलिये बिल्डिंग की तामीर में ज़कात नहीं लग सकती, न ही किसी इदारे के कर्मचारी की पगार में लग सकती है। इसी तरह कफ़न दफ़न में ज़कात का पैसा लगाना ठीक नहीं है। ज़कात अदा करने वाले को चाहिये कि अच्छी तरह तहकीक करके सही मसरफ़ में लगाने की कोशिश करे। अफ़ज़ल ये है कि सबसे पहले अपने अज़ीज़ व अक़ारिब में मिस्कीन की तलाश करे। रिश्ते दारों में ज़कात अदा करने से डबल सवाब मिलता है। एक ज़कात अदा करने का दूसरे सिला रहमी करने का।

मुस्तहिक होने के साथ साथ एक ज़रूरी शर्त ये है कि मुस्तहिक मुसलमान हो। इसीलिये गैर मुस्लिम मुस्तिहिक को ज़कात की रक़म देना ठीक नहीं है। आप स030 ने फ़रमाया कि ज़कात मुसलमान मालदारों से ली जायेगी और ग़रीब मुसलमानों पर ख़र्च की जायेगी। (बुखारी 1496)

ज़कात निम्नलिखित लोगों को दी जा सकती है:

- 1— फ़कीर (जिनके पास निसाब के बराबर माल न हो)
- 2— मिस्कीन (जो किसी भी माल के मालिक न हो)
- 3— इस्लामी हुक्मत के वो कारिन्दे जो ज़कात व उशर की वसूली पर मुकर्रर होते हैं।

4— ऐसे गुलाम जो अपनी आज़ादी के लिये मदद के तलबगार हों।

5— ऐसे कर्ज़दार जिनके कर्ज़ से सबक़दोशी के लिये ज़कात दी जाये जबकि उनके पास अपनी ज़ाति मालियत ज़कात की अदायगी के लिये बाक़ी न हो।

6— वो मुसाफिर जो सफ़र के दौरान ज़रूरत मन्द हो जायें।

किन लोगों को ज़कात देना जायज़ नहीं:

- 1— बाप, दादा, परदादा, नाना, परनाना, इत्यादि। इसी तरह दादी, नानी इत्यादि।
- 2— लड़के, लड़कियां, पोते, नवासे, पोतियां, नवासियां इत्यादि। 3— बीवी और शौहर।
- 4— गुलाम बांदी। 5— साहबे निसाब, मालदार।
- 6— मालदार छोटा बच्चा।
- 7— सादात (बनू हाशिम, आले अली, आले अब्बास इत्यादि)

मदरसों में ज़कात देने का दोहरा सवाब

मदरसों में ज़कात ख्रच करने में दोहरा सवाब मिलेगा, एक ज़कात का दूसरे इल्म को फैलाने और दीन की हिफाजत का।

रमज़ान में ज़कात अदा करने का सवाब

रमज़ानुल मुबारक में चूंकि हर फ़र्ज़ इबादत का सवाब सत्तर गुना बढ़ जाता है इसलिये रमज़ान में ज़कात देने में इन्शाअल्लाह सत्तर गुना सवाब की उम्मीद है। (लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारी ज़कात रमज़ान में ही निकाल दी जाये और गैर रमज़ान में फ़कीरों की ज़रूरतों का ख्याल न रखा जाये, बल्कि ज़रूरत व मस्लिहत के एतबार से ख्रच करने का एहतिमाम करना चाहिये)

एक फ़कीर को एक वक्त में मुकम्मल निसाब का मालिक बनाना मकरुह है

एक फ़कीर को एकसाथ इतना माल देना कि वो साहबे निसाब हो जाये बेहतर नहीं है, अलबत्ता अगर वो कर्जदार हो और कर्ज की अदायगी के लिये बड़ी रकम दी तो हर्ज नहीं।

ज़रूरी तम्बीह: कुछ मालदार इस मसले से ग़लत फ़ायदा उठाते हैं, वो इस तरह कि कारोबार या हुकूमत का कर्ज इतना ज़्यादा हो जाता है कि उनके अस्ल सरमाये से बढ़ जाता है तो वो लोगों के पास जाकर ये कहते हैं कि हम कर्जदार होने की वजह से ज़कात के मुस्तहिक हो गये। इसलिये ज़कात के माल से हमें कर्ज अदा करने में सहयोग दिया जाये।

इस तरह वो लाखों रुपये का मुतालबा रखते हैं तो ऐसे लोगों को चाहिये कि वो पहले अपनी ज़ाति मालियत जायदाद और गाड़ियां वगैरह बेच करके अपना कर्ज अदा करें, और इसके बाद भी कर्ज अदा न हो तो अब सहयोग की मांग करें, इससे पहले उनका अपने को ज़कात का मुस्तहक कहना ग़रीबों का हक मारना है।

यतीम को ज़कात देना

अगर यतीम फ़कीर समझदार बच्चे को ज़कात दी यो कपड़े पहनाये तो ज़कात अदा हो जायेगी।

नासमझ बच्चे को ज़कात देना

नासमझ छोटे बच्चे की तरफ से उसके बाप या वसी या मुरब्बी ने क़ब्जा कर लिया तो ज़कात अदा हो जायेगी वरना नहीं।

हाशमी को ज़कात देना जायज़ नहीं

हाशमी खानदान और उनके आज़ाद किये हुए गुलामों को ज़कात नहीं दी जायेगी।

उस्लूल व फुरुअ को ज़कात देना

- अपने बाप, दादों, लड़कों और पोतों को ज़कात देने से फ़र्ज अदा न होगा।
- बीवी शौहर को और शौहर बीवी को ज़कात नहीं दे सकता
- बीवी शौहर को ज़कात नहीं दे सकती और शौहर बीवी को ज़कात नहीं दे सकता।
- कर्जदार के कर्ज को माफ करने से ज़कात अदा न होगी
- कर्जदार को कर्ज से बरी करने से ज़कात अदा न होगी अलबत्ता अगर फ़कीर ने मकरूज़ को ज़कात की रकम दी फिर उससे अपना कर्ज वसूल कर लिया तो ये दुरुस्त है।
- फ़कीर समझकर ज़कात दी और बाद में पता चला कि वो मालदार है
- अगर किसी शख्स ने अपनी ज़कात किसी शख्स को फ़कीर समझकर दी, बाद में पता करने से मालूम हुआ कि वो लेने वाला शख्स ज़कात का मुस्तहक न था तो देने वाले की ज़कात अदा हो गयी।

करीबी रिश्तेदारों का हक

करीबी रिश्तेदार ज़कात के अहम मुस्तहिकीन में से हैं, उनको ज़कात देने में दो गुना सवाब मिलता है, एक ज़कात का, दूसरे सिलारहमी और कराबत का। ध्यान रहे कि बाप, दादा, औलाद और पति-पत्नी के अलावा बकिया सभी ज़रूरतमन्द रिश्तेदारों जैसे भाई, बहन, चचा, फुफी, मामू और भांजे इत्यादि को ज़कात देना शरीअत के हिसाब से सही है, बल्कि अफ़ज़ल है।

ज़कात को एक शहर से दूसरे शहर भेजना

बेहतर है कि हर शहर वाले अपनी ज़कात अपने शहर के फ़कीरों और ग़रीबों पर ख्रच करें लेकिन अगर दूसरी जगह के लोग ज़्यादा मुस्तहिक हो तो दूसरी जगह ज़कात की रकम भेजने में भी कोई हर्ज नहीं है। जैसे बहुत से रिश्तेदार ज़रूरतमन्द दूसरे शहर में रहते हों, या बहुत से मदरसे ऐसे पिछड़े इलाकों में हैं जहां सहयोग करना दीन के बचाव के लिये ज़रूरी है तो वहां ज़कात की रकम भेजना न केवल जायज़ बल्कि ज़्यादा सवाब वाला भी है।



एतिकाफ़ के कुछ मसले

एतिकाफ़ अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ ठहरने और स्वयं को रोक लेने का है। शरीअत के अनुसार मस्जिद के अन्दर नियत के साथ अपने आप को कुछ विशेष चीजों से रोके रखने का नाम एतिकाफ़ है। रसूलल्लाह (स०अ०) ने एतिकाफ़ के विशेष लाभ बताए हैं। रसूलुल्लाह (स०अ०) ने कहा है कि एतिकाफ़ की हालत में एतिकाफ़ करने वाला गुनाहों से तो दूर रहता ही है और मस्जिद से बाहर न निकलने की वजह से जिन नेकियों से वंचित रहता है वो नेकियां भी अल्लाह तआला के करम से उसकी नेकियों में शामिल हो जाती हैं। रसूलल्लाह (स०अ०) ने जिस पाबन्दी से एतिकाफ़ किया उम्मुलमोमिनीन हज़रत आयशा रज़िया कहती हैं कि आप (स०अ०) वफ़ात (देहान्त) तक बराबर रमज़ानुल मुबारक के आखिरी दस दिनों में एतिकाफ़ करते रहे। फिर आप (स०अ०) के बाद आप की बीवियों ने भी एतिकाफ़ फ़रमाया। दस दिन का एतिकाफ़ आप (स०अ०) का नियम था। एक साल एतिकाफ़ न कर सके तो दूसरे साल बीस दिन का एतिकाफ़ फ़रमाया।

एतिकाफ़ के प्रकार

फुक़हा (धार्मिक विद्वान) ने आदेश और महत्व के आधार पर एतिकाफ़ की तीन किस्में बयान की हैं।

- 1— वजिब
- 2— मसनून
- 3— मुस्तहब

वाजिब एतिकाफ़

किसी नज़र और मन्त्र मांगने की वजह से दूसरी इबादतों की तरह एतिकाफ़ भी वाजिब हो जाता है। एतिकाफ़ कम से कम एक दिन का होगा उससे कम का नहीं और उसकी नज़र के समय रोज़ा रखने की नियत हो या न की हो, बहरहाल रोज़ा रखना आवश्यक होगा।

मसनून एतिकाफ़

रमज़ानुल मुबारक के आखिरी दस दिनों में एतिकाफ़ सुन्नते मुअक्कदा अलल किफ़ाया है यानि अगर किसी एक व्यक्ति ने एतिकाफ़ कर लिया तो सभी से सुन्नत को

छोड़ने का गुनाह ख़त्म हो जाएगा और अगर किसी ने नहीं किया तो सभी सुन्नत को छोड़ने के गुनहगार होंगे। एतिकाफ़ मसनून के लिए रोज़ा ज़रूरी है।

एतिकाफ़ का तरीका ये है कि बीस रमज़ानुल मुबारक को अस्त्र के बाद सूरज डूबने से पहले एतिकाफ़ की नियत से मस्जिद में दाखिल हो जाए और उन्तीस रमज़ानुल मुबारक को ईद का चांद होने के बाद या तीस तारीख को सूरज डूबने के बाद वापस आ जाए।

नफ़िल एतिकाफ़

नफ़िल एतिकाफ़ में न रोज़ा की शर्त है न मस्जिद में रात गुज़ारने की और न दिनों की कोई संख्या है जितने दिन और जितने क्षणों का चाहे एतिकाफ़ कर सकता है उसका तरीका ये है कि मस्जिद में दाखिल होते समय एतिकाफ़ की नियत कर ले। इस प्रकार जब तक वो मस्जिद में रहेगा एतिकाफ़ का सवाब मिलता रहेगा और जब बाहर आ जाएगा तो एतिकाफ़ ख़त्म हो जाएगा।

एतिकाफ़ की शर्तें

एतिकाफ़ सही होने के लिए एतिकाफ़ करने वाले का मुसलमान और बालिग होना, नियत का होना, मर्द का नापाकी व औरत का माहवारी से पाक होना और ऐसी मस्जिद में एतिकाफ़ करना जिसमें पांच वक्त की नमाज़ अदा की जाती हो शर्त है। बालिग होना ज़रूरी नहीं बालिग होने के निकट और समझदार नाबालिग भी एतिकाफ़ कर सकते हैं। वाजिब और मसनून एतिकाफ़ के लिए रोज़ा रखना भी ज़रूरी है।

एतिकाफ़ की बेहतर जगह

एतिकाफ़ उन इबादतों में से है जिसकी अदाएँ मस्जिद में होनी चाहिए, कहीं और बैठ जाना काफ़ी नहीं इसलिए कि यही रसूलल्लाह (स०अ०) का नियम रहा है और हज़रत अली रज़िया से रिवायत है कि आप (स०अ०) ने फ़रमाया कि एतिकाफ़ केवल मस्जिद में ही होता है। एतिकाफ़ के लिए मर्दों के हक़ में सबसे बेहतर मस्जिद—ए—हराम फिर मस्जिद—ए—नबवी फिर मस्जिद—ए—अक़सा और फिर शहर की जामा मस्जिद जहां नमाज़ी अधिक आते हों और फिर अपने मोहल्ले की मस्जिद।

औरतों के लिए एतिकाफ़ करना सुन्नत है लेकिन ये ज़रूरी है कि शौहर से आज्ञा ले ले। औरत के लिए मस्जिद में एतिकाफ़ करना मकरूह है। उनको घर में एतिकाफ़ करना चाहिए। अगर घर में पहले से कोई

जगह एतिकाफ के लिए तय है तो वहीं एतिकाफ करे ये इमाम अबू हनीफा रह0 की राय है क्योंकि इस दौर में औरतों का मस्जिद में एतिकाफ करना फितने से खाली नहीं इसलिए रसूलल्लाह (स0अ0) ने औरतों के मस्जिद में नमाज़ अदा करने के मुकाबले में घर में नमाज़ अदा करने को बेहतर करार दिया है।

एतिकाफ करने वाले को चाहिए कि अपना समय कुरआन पाक की तिलावत, रसूलल्लाह (स0अ0) की सीरत (चरित्र), अम्बिया व बुजुर्गों के वाक्यों व हालातों और दीनी किताबों का अध्ययन और उन्हीं चीजों को पढ़ाना, दीनी किताबों को लिखना या उनको एकत्रित करने इत्यादि में अपना समय लगाएं। एतिकाफ की हालत में खुशबू वगैरह लगा सकते हैं। एतिकाफ के आदाब में ये भी है कि मस्जिद के आदाब का लिहाज़ रखा जाए। मस्जिद में सामान लाकर खरीदा—बेचा न जाए हाँ अगर सौदा बाहर हो तो इस तरह के मामले की गुंजाइश है। इबादत समझ कर बिल्कुल खामोश रहना या बेहूदा और नामुनासिब बातें करना भी मकरूह है।

एतिकाफ को तोड़ने वाली चीजें

बीवी से हमबिस्तरी, मस्जिद के अन्दर हो या बाहर, जानबूझ कर हो या भूल से, दिन में हो या रात में, वीर्य निकर्ल या न निकले, हर हाल में एतिकाफ टूट जाएगा। हमबिस्तरी से पहले के मामले यानि छूना या चूमना इत्यादि भी जाएज़ नहीं मगर उससे एतिकाफ नहीं टूटेगा बल्कि बीवी से बातचीत करना सही है।

इसी प्रकार ऐसी बेहोशी जो एक दिन से अधिक हो गयी हो तो एतिकाफ टूट जाता है औरत को मासिक धर्म आ गया तो उससे भी एतिकाफ टूट जाएगा और उसकी क़ज़ा वाजिब होगी।

दिन में जानबूझ कर खा पी लेने से रोज़ा ख़राब हो जाता है और एतिकाफ भी टूट जाता है।

मस्जिद से बाहर निकलना

बिना आवश्यकता मस्जिद से बाहर निकल जाने से भी एतिकाफ टूट जाता है। इमाम अबू हनीफा रह0 के नज़दीक तो बिना आवश्यकता थोड़ी देर के लिए निकलने से भी एतिकाफ ख़राब हो जाता है। लेकिन साहिबैन रह0 के निकट दिन रात के अधिकतर भाग में मस्जिद से बाहर रहने से एतिकाफ ख़राब हो जाता है। अल्बत्ता किसी ज़रूरत के लिए बाहर निकला जा सकता है। ये आवश्यकता दो प्रकार की है।

1—स्वाभाविक

स्वाभाविक आवश्यकता से मुराद पेशाब पाखाना गुरुल (स्नान) वाजिब (अनिवार्य) हो जाने की स्थिति में गुरुल (स्नान) के लिए निकलना।

खाना लाने वाले न हों तो खाने के लिए निकलना इत्यादि शामिल है।

मगर इन सूरतों में भी आवश्यकता से अधिक नहीं ठहरना चाहिए।

इन्हीं शरई कामों में उलमा ने हुक्म को शुभार किया है कि मस्जिद से बाहर जाकर हुक्म पीकर बदबू मिटाकर मस्जिद में आ जाना चाहिए। यही तरीका उन लोगों को भी अपनाना चाहिए जो सिगरेट पान वगैरह के आदी हों।

शरई आवश्यकताओं में से ये भी है कि अगर ऐसी मस्जिद में एतिकाफ कर रहा है जहां जुमा नहीं होता है तो जुमा के लिए जामा मस्जिद जाना सही है। बल्कि इसकी रिआयत जरूरी है कि केवल इतनी देर दूसरी मस्जिद में ठहरे कि तहीयतुल मस्जिद पढ़ ले। सुन्नत अदा कर ले फिर खुत्बे से जुमा के बाद की सुन्नतें अदा करने के बाद जल्द से जल्द अपनी मस्जिद में आ जाए देरी मकरूह है।

अगर कोई शख्स जबरन निकाल दे या मस्जिद टूट जाए जिसकी वजह से निकलना पड़े या उस मस्जिद में जान व माल का ख़तरा हो जाए तो उन सभी हालातों में उस मस्जिद के बजाए दूसरी मस्जिद में जाकर एतिकाफ कर लेना सही है और उससे एतिकाफ में कोई ख़लल नहीं पड़ेगा लेकिन दूसरी मस्जिद में फ़ौरन बिना देर किये चला जाए इसी प्रकार अगर एतिकाफ के बीच मस्जिद से निकल कर अज़ान देने के लिए मीनार पर चढ़ जाए तो इसकी भी इजाजत है।

एतिकाफ की क़ज़ा

अगर एतिकाफ वाजिब (अनिवार्य) था और किसी वजह टूट गया तो उसकी क़ज़ा ज़रूरी है। इमाम अबू हनीफा रह0 के नज़दीक मसनून (सुन्नत) एतिकाफ में केवल उस दिन की क़ज़ा करनी होगी जिस दिन का एतिकाफ टूट गया जबकि इमाम अबू यूसुफ रह0 के निकट पूरे दस दिन की क़ज़ा वाजिब होगी। मशहूर फ़कीह अल्लामा हाफिज़ इब्ने हुमाम रह0 का रुझान भी इसी तरफ मालूम होता है इसलिए यही अधिक अच्छा तरीका है कि पूरे अशरे की क़ज़ा की जाए।

रोज़े के मुख्यतालिफ़ मस्साएल

सहरी व नियत

रोज़े चाहे रमजान का हो चाहे किसी और चीज़ का। बहरहाल उनके लिये सहरी खाना सुन्नत है। रोज़े की शुरुआत तुलूअ सुबह सादिक से होती है और ये सूरज ढूबने पर ख़त्म होता है। इसलिये शरीअत ने ये सहूलत रखी है कि रोज़ेदार सुबह होने से पहले सहरी खा ले ताकि रोज़े में ताक़त बहाल रहे। अलग—अलग हदीसों में आप (स0अ0व0) ने इसकी तरगीब दी है। इसीलिये सहरी में सवाब होने पर उम्मत एकमत है। सहरी उतनी देर तक खायी जा सकती है कि सुबह होने का शक न हो, रात के बचे होने का भी शक न हो। हज़रत ज़ैद बिन साबित (रजिओ) से रिवायत है कि हम लोग जब रसूलुल्लाह (स0अ0व0) के साथ सहरी करते थे तो सहरी और फ़ज़ की अजान के बीच पचास आयत की तिलावत के बराबर फ़ासला होता था। आम तौर इतना कुरआन पांच—छः मिनट में पढ़ा जाता है।

अगर इस ख्याल से सहरी खाई कि अभी सुबह नहीं हुई है हालांकि सुबह हो चुकी थी तो रोज़े की क़ज़ा वाजिब होगी, कफ़ारा वाजिब नहीं होगा, अगर शक हो कि शायद फ़ज़ का वक़्त हो गया तो बेहतर है कि खाना—पीना छोड़ दे, फिर भी अगर खा ले और सुबह होने का यक़ीन न हो तो उसका रोज़ा हो जायेगा।

इसीलिये आप (स0अ0व0) का इरशाद है:

“सहरी खाओ सहरी में बरकत है।” (बुख़ारी 1923)

एक दूसरी हदीस में आप (स0अ0व0) ने फ़रमाया:

“हमारे और अहले किताब के रोज़ों में फ़क़ और इम्तियाज़ सहरी खाने का है (हम खाते हैं और वो नहीं खाते हैं)।” (मुस्लिम 2550)

रही नियत तो उसके बगैर रोज़ा नहीं होगा। इसीलिये अगर एक शख्स सुबह से शाम तक इन सभी चीज़ों से एहतराज़ करे जिनसे रोज़ादार परहेज़ करता

है लेकिन उसकी नियत रोज़ा रखने की न हो तो उसका रोज़ा नहीं होगा। इसीलिये आप (स0अ0व0) का इरशाद है:

“जो फ़ज़ से पहले ही नियत न करे उसका रोज़ा नहीं होगा।” (तिरमिज़ी 730)

कई दूसरी हदीसों को देखते हुए फुक़हा ने फ़रमाया कि ज़वाल से एक घन्टा पहले नियत कर ले बशर्ते कि कुछ खाया—पिया न हो तो रमजान का और नफ़ीली रोज़ा रखना दुरुस्त होगा और नियत का महल क्योंकि दिल होता है इसलिये सिर्फ़ दिल में ये इरादा कर लेना काफ़ी है कि कौन सा रोज़ा रख रहा हूँ ज़बान से कहना ज़रूरी नहीं अल्बत्ता बेहतर यही है कि ज़बान से भी कह दे। (हिन्दिया 1 / 195)

जिन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता

भूल कर खाने—पीने, सर में तेल लगाने और नहाने—धोने से रोज़ा नहीं टूटता है। अगर दिन में सो जाये और एहतलाम (वीर्य स्खलित होना) हो जाये तो रोज़ा नहीं टूटता है। इसी तरह दिन में इन्जेक्शन लगवाने से रोज़ा नहीं टूटता है लेकिन बेहतर यही है कि अगर बहुत सख्त ज़रूरत न हो तो इफ़तार के बाद इन्जेक्शन लगवाये। मिस्वाक चाहे ताज़ी या हरी हो या खुशक और सूखी हो उससे रोज़ा नहीं टूटता है यद्यपि मन्जन इत्यादि करना मकरूह है और अगर मन्जन हलक के नीचे उतर जाये तो रोज़ा टूट जायेगा। अगर ज़बान से कोई चीज़ चखकर थूक दे तो रोज़ा नहीं टूटता, यद्यपि अनावश्यक ऐसा करना मकरूह है।

आंसू या चेहरे का पसीना एक दो बूंद अनजाने में हलक में चला जाये तो रोज़ा नहीं टूटेगा।

(हिन्दिया 1 / 203)

नाक को इतनी ज़ोर से सुड़क लिया कि हलक में चली गयी तो रोज़ा नहीं टूटेगा इसी तरह मुँह की राल निगल जाने से भी रोज़ा नहीं टूटता।

(हिन्दिया 1 / 203)

थोड़ी सी कै आयी फिर खुद ही हलक में लौट गयी तो रोज़ा नहीं टूटेगा अलबत्ता जानबूझ कर लौटाने से रोज़ा टूट जायेगा। (हिन्दिया 1 / 204)

जिस शख्स ने सहरी में इतना खा लिया हो कि सूरज निकलने के बाद तक डकारे आती हैं और उसके साथ पानी भी आता हो तो उससे रोज़े में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। (हिन्दिया 1 / 203)

रोज़े की हालत में खून निकलवा कर टेस्ट करवाने से रोज़ा नहीं टूटता। (हिन्दिया 1 / 199)

रोज़े की हालत में मज़ी (वीर्य के पहले मूत्र के मार्ग से निकलने वाली एक-दो बूंद) निकलने से रोज़ा नहीं टूटेगा।

रोज़े की हालत में अपनी बीवी से दिल्लगी करना ऐसे शख्स के लिये जायज़ है जिसे स्खलित होने या हमबिस्तरी का खतरा न हो। (हिन्दिया 1 / 200)

अगर शौहर ने बीवी पर शहवत से नज़र की या उसका ख्याल दिल में जमाया जिससे स्खलन हो गया तो रोज़ा नहीं टूटेगा। (दुर्र मुख्तार 3 / 367)

रमज़ान के महीने में अगर किसी का रोज़ा किसी वजह से टूट जाये तब भी उस पर वाजिब है कि रमज़ान के एहतिराम में दिन में रोज़ेदार की तरह खाने-पीने से बचे।

क़ज़ा व कफ़्फ़ारा वाजिब होने की सूरतें

रोज़े को तोड़ने वाली चीज़ें दो तरह की हैं। कई वो हैं जिनसे क़ज़ा और कफ़्फ़ारा दोनों लाज़िम होते हैं, और वो चीज़ें ये हैं:

1. पति-पत्नी का संबंध स्थापित करना, चाहे स्खलित (वीर्य निकलना) हो या न हो दोनों हालतों में रोज़ा टूट जायेगा और कफ़्फ़ारा ज़रूरी होगा। अगर ये काम औरत की रज़ामन्दी से हुआ तो उस पर भी कफ़्फ़ारा लाज़िम होगा और अगर उसकी रज़ामन्दी नहीं थी, पति ने ये काम ज़बरदस्ती से किया तो औरत पर केवल क़ज़ा ज़रूरी होगी, अगर शुरुआत में इसे मजबूर किय गया हो और बाद में उसकी रज़ामन्दी हो गयी हो तब भी उस पर केवल क़ज़ा ज़रूरी होगी।

2. जानबूझ कर ऐसी चीज़ खाना जिसको खाने के तौर पर और दवा इस्तेमाल किया जाता है, जैसे

रोटी, चावल, शरबत वगैरह या किसी दवा का इस्तेमाल करना।

इसके बरिखिलाफ़ अगर भूले से यह काम अंजाम दे तो रोज़ा नहीं टूटेगा और अगर कोई ऐसी चीज़ खाई जिसे ग़िज़ा या दवा के तौर पर खाया नहीं जाता है तो रोज़ा टूट जाएगा लेकिन सिर्फ़ कज़ा लाज़िम होगी, कफ़्फ़ारा लाज़िम नहीं होगा, मसलन कोई कंकरी या लोहे का कोई टुकड़ा खा ले।

इन चीज़ों से कफ़्फ़ारा वाजिब होने का ज़िक्र इशारे के साथ या खुले तौर पर हज़रत अबूहुरैरा (रज़ि०) की इस हदीस में आया है, फ़रमाते हैं कि हम सब आप (स०अ०व०) के पास बैठे हुए थे कि एक बदू खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा कि ऐ अल्लाह के रसूलस! मैं तबाह हो गया। आप (स०अ०व०) ने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा कि मैंने रोज़े की हालत में पत्नी से संबंध स्थापित कर लिया, आप (स०अ०व०) ने पूछा, क्या आज़ाद करने के लिये तुम्हारे पास गुलाम है? उसने कहा, नहीं; आप (स०अ०व०) ने फ़रमाया, तो क्या दो महीने लगातार रोज़ा रखते हो? उसने कहा, नहीं; आप (स०अ०व०) ने फ़रमाया इतना माल है कि साठ ग़रीबों को खिला सकते हो? उसने कहा, नहीं।

(बुख़ारी)

इससे पता चला कि संबंध स्थापित कर लेने से क़ज़ा व कफ़्फ़ारा दोनों ज़रूरी होंगे और इशारा ये भी मालूम हुआ कि चूंकि खाना-पीना भी इसी दर्जे में है लिहाज़ा इसका भी यही हुक्म होगा। साथ ही कफ़्फ़ारे का तरीक़ा भी मालूम हुई कि पहले नम्बर पर गुलाम आज़ाद करना है, न कर सके जैसा कि वर्तमान समय में गुलामी का दौर खत्म हो जाने के कारण किसी के लिये भी ये शक्ल सम्भव नहीं, तो दो महीने लगातार रोज़े रखे, अगर इन दो महीनों के बीच रमज़ान आ गया तो या अय्याम तशीक आ गये तो क्रम टूट जायेगा और शुरुआत से रोज़े रखने पड़ेंगे। यही हुक्म उस वक्त भी होगा जब बीमार हो जाये या औरत निफ़ास (प्रस्व रक्त) की हालत में हो जाये, क्रम उससे भी टूट जायेगा। यद्यपि अगर बीच में औरत को हैज़ (माहवारी) आ जाये तो वो रोज़े रखना बन्द कर दे, फिर जब हैज़ रुक जाये तो जितने रोज़े बाक़ी रह गये

थे सिर्फ़ वही रख ले फिर से रखने की ज़रूरत नहीं है।

और अगर किसी को रोज़ा रखने की ताक़त नहीं है तो साठ (60) मिस्कीनों को दो वक्त पेटभर कर खाना खिलाए, या हर मिस्कीन को सदका—ए—फ़ित्र के बराबर गुल्ला दे यानि निस्फ़ साआ (1 किलो 633 ग्राम) गेहूं या एक किलो जौ या खजूर या उन चीज़ों की कीमत के बक़द्र कोई दूसरी चीज़ या नक़द रूपये दे, अगर इस तरह करने के बजाए किसी एक मिस्कीन को साठ दिन तक दो वक्त खाना खिला दे तब भी कफ़ारा अदा हो जाएगा।

क़ज़ा वाजिब होने की सूरतें

वह हैं जिससे सिर्फ़ क़ज़ा लाज़िम होती है, कफ़ारा लाज़िम नहीं होता, यह चीज़ें मुन्दरजा जेल हैं:

जिन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है और उससे सिर्फ़ क़ज़ा ज़रूरी होती है, वो चीज़ें निम्नलिखित हैं:

1. अगर किसी को खाने पर जान व माल की धमकी देकर मजबूर किया गया, और उसने ख़ौफ़ से खा लिया तो रोज़ा टूट जायेगा लेकिन सिर्फ़ क़ज़ा ज़रूरी होगी। यही हुक्म उस समय होगा जब ग़लती से कुछ खा—पी ले, यानि रोज़ा याद, खाने—पीने का इरादा नहीं था लेकिन खाने—पीने की चीज़ हलक़ से उतर गयी, तो ऐसी सूरत में रोज़ा टूट जायेगा और सिर्फ़ क़ज़ा वाजिब होगी।

2. अगर कोई ऐसी चीज़ खाई या पी जिसको बतौर दवा या गिज़ा नहीं खाया—पिया जाता है जैसे कन्करी वगैरह।

3. दांतों में कोई चीज़ अटकी हुई थी, अगर वो चने के बराबर या उससे बड़ी थी तो उसके निगलने से रोज़ा टूट जायेगा और क़ज़ा होगी और अगर चने से छोटी थी तो रोज़ा नहीं टूटेगा लेकिन ये उस वक्त होगा जब मुंह से न निकाला हो अगर निकाल कर खाये तो चीज़ छोटी हो या बड़ी रोज़ा टूट जायेगा।

4. अगर हङ्क़ा लगाया, या नाक के अन्दरूनी हिस्से में दवा डाली, या कान में तेल या कोई दवा डाली या औरत ने अपनी शर्मगाह में दवा डाली तो रोज़ा टूट जायेगा और केवल क़ज़ा ज़रूरी होगी, लेकिन अगर आंख में दवा डाली या सुरमा लगाया तो

रोज़ा नहीं टूटेगा, इसी तरह अगर कान में पानी डाला तब भी रोज़ा नहीं टूटेगा।

5. अगर अगरबत्ती या लोबान सुलगाई फिर उसको सूंघा और धुआं अन्दर चला गया तो रोज़ा टूट जायेगा। इसी तरह सिगरेट, बीड़ी इत्यादि से रोज़ा टूट जायेगा।

6. कै (उल्टी) के बारे में लोगों में आम तौर से ये ग़लत फ़हमी पायी जाती है कि चाहे जिस तरह की भी कै हो रोज़ा टूट जायेगा, इसलिये कै के सिलसिले में आप (स0अ0व0) ने इरशाद फ़रमाया:

जिसको रोजे की हालत में खुद से कै हो जाये उस पर क़ज़ा नहीं है और जो जानबूझ कर कै करे उस क़ज़ा ज़रूरी है।
(तिरमिज़ी)

इस हदीस के आधार पर फुक्हा (धार्मिक विद्वानों) ने फ़रमाया: कै कि कई सूरतें हो सकती हैं लेकिन रोज़ा केवल दो सूरतों में टूटता है, एक ये कि मुंह भर के हो और रोज़ेदार इसको निगल ले, चाहे पूरी कै या चने के बराबर या उससे ज़्यादा को निगले। दूसरे ये कि जानबूझ कर कै करे और मुंह भर के कै हो, बक़िया किसी और कै से रोज़ा नहीं टूटता है।

पान, तम्बाकू और सिगरेट—बीड़ी का हुक्म

इसी हुक्म में पान तम्बाकू और सिगरेट इत्यादि भी हैं। पान तम्बाकू की पीक अगर कोई निगल लेता है तो बिल्कुल साफ़ बात है कि उसने एक चीज़ हलक़ से नीचे उतार ली। अतः इससे रोजे के चले जाने में कोई शक की बात ही नहीं है लेकिन कुछ लोग पीक निगलते नहीं हैं सिर्फ़ पान व तम्बाकू चबाकर उसे थूक देते हैं। इसलिये कुछ लोगों को शक होता है कि उससे शायद रोज़ा नहीं टूटता क्योंकि फुक्हा किराम ने फ़रमाया है कि किसी चीज़ के चबाने से रोज़ा नहीं टूटता और इस शक्ल में सिर्फ़ चीज़ को चबाया गया खाया नहीं गया लेकिन ये शक ठीक नहीं है इसलिये कि खाने—पीने को रोज़ा तोड़ने वाला बताया गया है और उन चीज़ों के चबाने को भी खाना कहते हैं फिर कुछ पान या उसका पीक तो बहरहाल हलक़ के नीचे उतर जाता है साथ ही इसके आदी लोगों को इसमें खास लज्जत (विशेष मज़ा) मिलती है अतः न केवल यह कि उनसे रोज़ा टूट जायेगा। बल्कि अगर उन

है कि ऐसा नहीं है, इसको देखते हुए कहा जा सकता है कि जहां तक हो सके रोज़ेदार इस गोली का इस्तेमाल न करे लेकिन इसके इस्तेमाल से रोज़ा उसी वक्त टूटेगा जब दवा मिला हुआ लुआब (एक प्रकार का थूक) हलक के नीचे उतर जाये। सिर्फ जबान के नीचे गोली रखना रोज़ा टूटने की वजह नहीं होगी।

इन्डेलर का इस्तेमाल

जिन लोगों को दमे की शिकायत होती है उनको इन्हेलर के ज़रिये दवा का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके ज़रिये पाउडर का बहुत छोटा कण फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है। इलाज के इस तरीके के ज़रिये दवा के इस्तेमाल से रोज़ा टूट जायेगा। इसलिये फ़िक् के नज़रिये से साफ़ ज़ाहिर हो रहा है कि मनाफ़िज़—ए—अस्लिया (मुंह, दिमाग, नाक, कान, अगली—पिछली शर्मगाहें) से जब किसी चीज़ को दाखिल किया जा रहा हो तो केवल दाखिले से रोज़ा टूट जाता है और इन्हेलर के इस्तेमाल में बहरहाल दखल होता है चाहे दवा कम ही क्यों न हो।

भाप की शक्ति में दवा का इस्तेमाल

निमोनिय और कई दूसरी बीमारियों में भाप के ज़रिये भी दवा इस्तेमाल की जाती है। ये इस्तेमाल कभी दवा को पानी में डालकर और पानी को खौलाकर उसकी भाप मुँह और नाक से लेकर किया जाता है और कभी ये काम कुछ यन्त्रों के द्वारा किया जाता है। बहरहाल भाप चाहे किसी भी यन्त्र की मदद से ली जाये या सादा तरीके से, दोनों हालतों में रोज़ा टूट जायेगा, इसके लिये फुक्हा ने साफ़ किया है कि जानबूझ कर धुआं हलक के नीचे उतारने से रोज़ा टूट जाता है और ये बात इसमें पूरी तरह से पायी जाती है।

बवासीरी मस्सों पर मरहम लगाने का आदेश

अगर पीछे के रास्ते से किसी दवा का प्रयोग किया जाए और दवा हुक्ना (पिछली शर्मगाह का भीतरी भाग) लगाने के स्थान तक पहुंच जाए तो रोज़ा टूट जाता है। इसलिए फुक्हा ने इसको भी हुक्ना लगाने के स्थान में सम्मिलित किया हैं जबकि फुक्हा ने स्पष्ट किया है कि यदि दवा हुक्ना लगाने के स्थान तक न पहुंचे तो रोज़ा नहीं टूटेगा।

इस व्याख्या से स्पष्ट हो गया है कि कोई दवा या

मरहम लगाने से या इसको पानी से तर करके चढ़ाने से रोज़ा नहीं टूटेगा इसलिए कि जानकारों का कहना है कि बवासीरी मस्से हुक्ना लगाने के स्थान से बहुत नीचे होते हैं।

रोग की पुष्टि के लिए यन्त्रों का प्रयोग

अगर रोग की खोज के लिए पीछे के गुप्तांग में किसी यन्त्र की सहायता ली जाए तो अगर यह यन्त्र सूखे हैं और इनका एक सिरा बाहर है जैसा कि आमतौर पर होता है तो इन यन्त्रों को अन्दर डालने से रोज़ा नहीं टूटेगा लेकिन अगर यन्त्र पर कोई तेल या ग्रीस जैसी चीज़ लगाकर इसे अन्दर किया गया है तो रोज़ा टूट जाएगा।

यही हुक्म औरत की अगली शर्मगाह तहकीक (खोज) के लिये किसी यन्त्र के डालने का भी है।

गर्भ तक यन्त्र का पहुंचाना

गर्भ की सफाई के लिये और फ़िमे रहम () को बढ़ाने के लिये जो यन्त्र (क्षसंजवते) प्रयोग किये जाते हैं और गर्भ का अन्दरूनी हिस्सा खुरचने का यन्त्र (ब्नतमजजम) यदि उन पर कोई तेल इत्यादि लगाकर उनको प्रविष्ट कराया जाये तो रोज़ा टूट जाएगा और अगर सूखा डाला जाए तो रोज़ा नहीं टूटेगा।

लेकिन यदि सूखा डालकर और एक बार बाहर निकालकर दोबारा साफ़ किये बिना उनको फिर डाला जाए तो रोज़ा टूट जाएगा चाहे दोबारा सूखा हो गीला।

औरत की शर्मगाह में दवा कर रखना

यदि आन्तिरक भाग में कोई दवा रखी जाए या रखी ऊपरी हिस्से में जाए वह अन्दरूनी हिस्से तक पहुंच जाए तो रोज़ा टूट जाएगा, चाहे दवा गीली हो या सूखी।

पेशाब के स्थान तक नली का पहुंचना

यदि मर्द के मुसाना तक नली पहुंचाई जाये तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा चाहे नली सूखी हो या गीली इससे दवा पहुंचाई जाए या नहीं और औरत के मुसाना में नली पहुंचाई जाए तो यदि नली गीली है तो या इससे दवा पहुंचाई गई है तो रोज़ा टूट जाएगा लेकिन अगर नली सूखी हो और इससे दवा भी न पहुंचाई गई हो तो रोज़ा नहीं टूटेगा।



रसूलुल्लाह (सल्लाल्लहू علیہ وسلم) के मामूलबात-ए-ख़ज़ान

मुहम्मद अमीन हसनी नदवी

रमजानुल मुबारक के महीने में जिब्राईल (अलैहिस्सलाम) आप (स0अ0व0) की ख़िदमत में हाजिर होते और कुरआन मजीद का दौर करते, इस महीने में आप (स0अ0व0) की सख़ावत दूसरे महीनों के मुकाबले में कई गुना बढ़ जाती थी, इस महीने में रसूलुल्लाह (स0अ0व0) की तिलावत, नमाज़, ज़िक्र और सख़ावत में दूसरों से बहुत आगे रहते थे।

रमजान के रोज़ों की फर्ज़ियत सन् दो हिजरी में हुई, इस तरह हुजूर (स0अ0व0) को अपनी ज़िन्दगी में नौ रमजान गुजारने का मौका मिला।

आप (स0अ0व0) रमजान में इबादत ज़्यादा करते थे, कभी—कभी पूरी—पूरी रात और पूरा—पूरा दिन इबादत में मश्गूल रहते, लेकिन रसूलुल्लाह (स0अ0व0) अपने सहाबा—ए—किराम को मुसलसल इबादत करने से रोकते थे, सहाबा—ए—किराम रसूलुल्लाह (स0अ0व0) से अर्ज़ करते कि आप भी तो मुसलसल इबादत में मश्गूल रहते हैं? तो आप जवाब देते कि मेरा मामला तुम्हारी तरह नहीं है, मेरा रब तो मुझे खिलाता और पिलाता रहता है।

सहरी के सिलसिले में आप की हिदायत यह थी कि बिल्कुल आखिरी वक्त में की जाएः

“हज़रत अबूसईद खुदरी (रज़ि0) से मरवी है, उन्होंने आप (स0अ0व0) को यह फ़रमाते हुए सुना कि तुम सौम व साल मत रखो और अगर कोई सौम व साल रखना चाहे तो सहरी ज़रूर करे।”

रसूलुल्लाह (स0अ0व0) बगैर सही रुईयत के या बगैर किसी की गवाही के रमजान के रोज़े नहीं रखते थे।

रसूलुल्लाह (स0अ0व0) ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि0) की गवाही पर रोज़ा रखा, एक मर्तबा एक बदू की गवाही को भी रसूलुल्लाह (स0अ0व0) ने तस्लीम किया, अगर कोई शहादत आपको न मिलती तो

आप (स0अ0व0) तीस दिन पूरे करते, अगर बादल होते तब भी आप (स0अ0व0) तीस दिन मुकम्मल करते, आप (स0अ0व0) ने उम्मत को यही हुक्म दिया:

“शाबान की मुददत पूरी करो।”

आप (स0अ0व0) का मामूल यह भी था कि अगर दो आदमी ईद की नमाज़ निकल जाने के बाद भी चांद की गवाही देते तो आप उनकी गवाही तस्लीम करते और इफ्तार करते और लोगों को भी इफ्तार का हुक्म देते और ईद की नमाज़ पढ़ाते।

इमाम इब्ने क़थियम (रह0) फ़रमाते हैं कि नबी करीम (स0अ0व0) इफ्तार में जल्दी करते और उसकी तरगीब देते थे, सहरी करते और सहरी करने की तलकीन करते थे और सहरी करने में आप (स0अ0व0) ताखीर फ़रमाते थे और दूसरों को भी ताखीर का हुक्म देते थे, रोज़ा आप (स0अ0व0) खजूर से खोलते थे और अगर खजूर न होता तो पानी से इफ्तार करते।

रसूलुल्लाह (स0अ0व0) का इफ्तार:

रसूलुल्लाह (स0अ0व0) नमाज़ से पहले इफ्तार करते थे, इफ्तार में अगर ताज़ा खजूर होती तो उससे इफ्तार फ़रमाते और अगर ताज़ा खजूर न होती, तो सूखी खजूर से और अगर वह भी न होती तो पानी से।

आप (स0अ0व0) से मरवी है कि जब आप (स0अ0व0) इफ्तार करते तो कहते:

“‘प्यास ख़त्म हो गई, रग्न तर हो गई, और अज्ञ यकीनी हो गया अगर अल्लाह ने चाहा।”

आप (स0अ0व0) ने इरशाद फ़रमाया:

“इफ्तार के वक्त रोज़ादार की दुआ रद्द नहीं की जाती।”

रसूलुल्लाह (स0अ0व0) ने फ़रमाया:

“जब रात (पूरब) से रुख़ करे और दिन इधर (पश्चिम) से पीठ मोड़े और ढूब जाए तो रोज़ेदार के इफ्तार का वक्त आ गया।” यानि सूरज ढूबते ही रोज़ा

खोल देना चाहिए।

रोज़ादार के लिए रसूलुल्लाह (स0अ0व0) की हिदायत:

आप (स0अ0व0) ने रोज़ादार को गाली बकने, शोर व हंगामा करने और गाली का जवाब देने से मना फ़रमाया है और रोज़ेदार को हुक्म दिया कि कोई उसको गाली दे तो उसके जवाब में यह कहे:

“मैं रोज़े से हूं।”

रमज़ान में आप (स0अ0व0) के सफ़र का तरीका:

आप (स0अ0व0) रमज़ान में सफ़र करते तो रोज़ा भी रखते और रोज़ा छोड़ भी देते, आप (स0अ0व0) ने अपने सहाबा को भी सफ़र की हालत में रोज़ा रखने या न रखने का अखिलयार दे रखा था, लेकिन अगर सफ़र जिहाद के सिलसिले में होता तो आप रोज़ा न रखने का हुक्म देते, ताकि जंग में खाने-पीने से ताक़त मिले, अगर सफ़र जिहाद से खाली होता तो रोज़ा के बारे में आप (स0अ0व0) फ़रमाते कि सफ़र में रोज़ा न रखने की इजाज़त है और अगर कोई रोज़ा रखता है तो उसमें कोई हर्ज़ भी नहीं।

आप (स0अ0व0) के एतिकाफ़ का तरीका:

रमज़ान के आखिरी दस दिनों में पाबन्दी के साथ आप (स0अ0व0) एतिकाफ़ फ़रमाते थे, अलबत्ता एक मर्तबा आप (स0अ0व0) ने एतिकाफ़ छोड़ा, लेकिन शवाल में फिर उसकी क़ज़ा की।

एक मर्तबा आप (स0अ0व0) ने रमज़ान के पहले अशरे में एतिकाफ़ किया और एक मर्तबा रमज़ान के दूसरे अशरे में और फिर आखिरी अशरे में, लेकिन यह आप (स0अ0व0) ने लैलतुल क़द्र की तलाश में किया और आखिर में फ़रमा दिया कि लैलतुल क़द्र का अशरा आखिर में है।

रमज़ान में आप (स0अ0व0) एक ख़ेमा लगाने का हुक्म देते थे, वह ख़ेमा मस्जिद में लगा दिया जाता था, उस ख़ेमे में रहकर आप (स0अ0व0) अपने रब से दुआएं करते, इस्तिग़फ़ार करते और मुनाजात करते, आप (स0अ0व0) जब एतिकाफ़ का इरादा करते तो फ़ज़ की नमाज़ के बाद से एतिकाफ़ करते, आप (स0अ0व0) हर साल दस दिन का एतिकाफ़ फ़रमाते लेकिन जिस साल वफ़ात हुई उस साल बीस दिन का एतिकाफ़ किया, आप (स0अ0व0) जिब्राईल (अलौहिस्सलाम) से एक साल में

एक मर्तबा कुरआन का दौर करते, वफ़ात के साल आप (स0अ0व0) ने दो मर्तबा दौर किया, आप (स0अ0व0) जब एतिकाफ़ करते तो ख़ेमे में दाखिल हो जाते, आप (स0अ0व0) एतिकाफ़ की हालत में घर नहीं आते सिवाए ज़रूरत के बज़े, एतिकाफ़ की हालत में आप (स0अ0व0) अपना सर बाहर निकालते, हज़रत आयशा (रज़ि) सर धोती और कंधी करतीं, आप (स0अ0व0) की बाज़ अज़वाज आप (स0अ0व0) से ख़ेमे में मिलने आतीं थीं, जब वह वापस होतीं तो आप (स0अ0व0) भी उनको छोड़ने के लिए दरवाज़े तक आते, आप (स0अ0व0) एतिकाफ़ की हालत में मुबाशरत नहीं फ़रमाते थे, आप (स0अ0व0) जब एतिकाफ़ करते तो ख़ेमे में फ़र्श बिछा दिया जाता और जिस जगह आप (स0अ0व0) एतिकाफ़ फ़रमाते वहां एक चारपाई रख दी जाती, एतिकाफ़ की हालत में जब आप (स0अ0व0) अपनी किसी ज़रूरत से निकलते तो मरीज़ से बातचीत न करते और न उससे कुछ पूछते।

सुब्से मज़बूर व मौतबर मुसलमान

♣ प्रोफ़ेसर रशीद अहमद शिद्दीकी ♣

“हमारा मज़हब हमारी ज़िन्दगी के तमाम खुले-छिपे छोटे-बड़े उम्र पर हावी है, हम उसके अवामिर व नवाही से किसी हाल में बाहर नहीं हो सकते, मज़हब व अख़लाक के फ़ज़ाएल व फ़वाएद मज़हब व अख़लाक के एहकाम को खुशी व फ़ख्र से बजा लाने में है, अपने नफ़्स या नफ़्अ की ख़ातिर उनका चोर दरवाज़े ढूँढ़ने या बनाने में हरागिज़ नहीं है, जहां फ़राएज़ का सवाल हो, वहां फ़वाएद के पहलू तलाश करना मज़हब, मुआशरह, हुक्मूत, इन्सानियत, सबसे ग़द्दारी है, मुसलमान की ज़िन्दगी फ़राएज़ की ज़िन्दगी है फ़वाएद की नहीं, मुसलमान के लिए आसाइश नहीं आज़माइश तक़दीर हो चुकी है, मज़हब, तालीम और अख़लाक के रौ से मेरे नज़दीक वह मुसलमान मर्द-औरत, जवान-बूढ़ा, अमीर-ग़रीब सबसे मज़बूर व मौतबर है, जिसके आमाल को देखकर दूसरे मज़हब व मसलक के पैरो यह कहें: काश! यह हमारा होता या हम इसके होते।”

(ब्रशुक्रिया: तामीरहयात: २५ अक्टूबर १९६७ई०)

ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ - ਰਹਬਰ-ਏ-ਕਾਨਿਕਾ

ਮੁਹਮਦ ਅਰਮੁਗਾਨ ਬਦਾਯੂਨੀ ਨਦਵੀ

ਅਲਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹਰ ਦੌਰ ਮੈਂ ਇੱਨਸਾਨੀ ਜਿਨ੍ਦਗੀ ਕੋ ਸਹੀ ਰੁਖ਼ ਪਰ ਕਾਧਮ ਰਖਨੇ ਕੇ ਲਿਏ ਮੁੜਲਿਫ਼ ਇਲਾਕਾਂ ਮੈਂ ਅਮ੍ਰਿਧਾ-ਏ-ਕਿਰਾਮ (ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ) ਕੋ ਮਬਉਸ ਫਰਮਾਯ, ਜਿਨ੍ਹਾਂਨੇ ਅਪਨੇ-ਅਪਨੇ ਇਲਾਕੇ ਔਰ ਮਾਹੌਲ ਕੇ ਏਤਵਾਰ ਸੇ ਲੋਗਾਂ ਕੋ ਸਾਲੇਹ ਇੱਨਸਾਨੀ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਤਥਕੀਲ ਦੇਨੇ ਕੀ ਦਾਵਤ ਦੀ ਔਰ ਇੱਨਸਾਨੀ ਜਿਨ੍ਦਗੀ ਮੈਂ ਮੁੜਲਿਫ਼ ਮੁਨਾਸਿਬਤਾਂ ਸੇ ਪੇਸ਼ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਵਾਕਿਆਤ ਕੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਮੈਂ ਆਸਮਾਨੀ ਸਹੀਫ਼ਾਂ ਕੇ ਜ਼ਰਿਏ ਐਸੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਔਰ ਉਸੂਲ ਬਧਾਨ ਕਰ ਦਿਏ ਜੋ ਇੱਨਸਾਨਿਧਤ ਕੀ ਨਿਯਾਤ ਕੇ ਜਾਮਿਨ ਥੇ, ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਮੈਂ ਏਕ ਅਹਮ ਔਰ ਆਖਿਰੀ ਕਡੀ "ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ" ਹੈ, ਜੋ ਇਮਾਮੁਲ ਅਮ੍ਰਿਧ ਸੈਚਦੁਲ ਅਵਲੀਨ ਵਲ ਆਖਿਰੀਨ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹਮਦ ਮੁਸਤਫ਼ਾ (ਸ0ਅ0ਵ0) ਪਰ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੁਆ ਔਰ ਕਧਾਮਤ ਤਕ ਕੇ ਲਿਏ ਰਹਨੁਮਾ ਕਿਤਾਬ ਕੀ ਹੈਸਿਧਤ ਸੇ ਦੁਨਿਆ-ਏ-ਇੱਨਸਾਨੀ ਮੈਂ ਮੁਤਾਰਿਫ਼ ਹੁਆ, ਆਸਮਾਨੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੈਂ ਯਹ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਹੀ ਕਾ ਐਜਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸਮੇਂ ਆਜਤਕ ਕਿਸੀ ਕਿਸਮ ਕੀ ਤਬੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਈ ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਧਾਨਕਰਦਾ ਉਸੂਲ ਹਰ ਦੌਰ ਮੈਂ ਤਮਾਮ ਲੋਗਾਂ ਕੇ ਲਿਏ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਮੀਲ ਹੈਂ, ਮਸਲਾ ਇਵਾਦਤ ਕਾ ਹੋ ਯਾ ਮਾਮਲਾਤ ਕਾ, ਸਿਧਾਸਤ ਕਾ ਹੋ ਯਾ ਤਿਜਾਰਤ ਕਾ, ਮਈਸ਼ਤ ਕਾ ਹੋ ਯਾ ਮਾਲਿਧਤ ਕਾ, ਕੁਰਾਨ ਮੈਂ ਤਮਾਮ ਗੋਸ਼ਾਂ ਪਰ ਖਾਤਿਰਖਾਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਭਾਲੀ ਗੱਈ ਹੈ ਔਰ ਇਖਿਤਸਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਇਨ ਤਮਾਮ ਅਕ੍ਰਦਾਂ ਕੋ ਭੀ ਹਲ ਕਰ ਦਿਏ ਹੈ ਜੋ ਕਧਾਮਤ ਤਕ ਕਿਸੀ ਭੀ ਹੈਸਿਧਤ ਸੇ ਪੇਸ਼ ਆ ਸਕਤੇ ਹੈਂ।

ਇਵਾਦਤ ਕੇ ਬਾਬ ਮੈਂ ਸਰਾਹਤ ਕੇ ਸਾਥ ਫਰਮਾ ਦਿਏ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਇੱਨਸਾਨੀ ਤਖ਼ਲੀਕ ਕਾ ਮਕ਼ਸਦ ਹੀ ਇਵਾਦਤੇ ਇਲਾਹੀ ਹੈ, ਇਰਸ਼ਾਦ ਹੋਤਾ ਹੈ:

"ਔਰ ਮੈਨੇ ਇੱਨਸਾਨਾਂ ਔਰ ਜਿੱਨਾਤਾਂ ਕੋ ਸਿਰਫ਼ ਇਸੀਲਿਏ ਪੈਦਾ ਕਿਯਾ ਕਿ ਵਹ ਮੇਰੀ ਬਨਦਗੀ ਕਰੋ।"

(ਸੂਰਹ ਜਾਰਿਧਾਤ: 56)

ਇਵਾਦਤ ਕੀ ਅਹਮਿਧਤ ਵ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਾ ਅਂਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਆਧਾਰ ਸੇ ਭੀ ਆਸਾਨੀ ਕੇ ਸਾਥ ਲਗਾਯਾ ਜਾ ਸਕਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਮੇਂ ਵਜ਼ਾਹਤ ਫਰਮਾ ਦੀ ਗੱਈ ਕਿ ਮਰਤੇ ਦਮ ਤਕ ਇਵਾਦਤ

ਸੇ ਮਫਰ ਨਹੀਂ। ਅਲਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਹੈ:

"ਔਰ ਅਪਨੇ ਰਥ ਕੀ ਬਨਦਗੀ ਮੈਂ ਲਗੇ ਰਹਿਏ ਯਹਾਂ ਤਕ ਕਿ ਯਕੀਨੀ (ਚੀਜ਼) ਆਪਕੋ ਪੇਸ਼ ਆ ਜਾਏ।"

(ਸੂਰਹ ਹਿਜਰ: 99)

ਆਮਤੌਰ ਪਰ ਆਪਸੀ ਰਹਨ-ਸਹਨ ਮੈਂ ਇੱਨਸਾਨ ਕਾ ਉਨ ਲੋਗਾਂ ਸੇ ਭੀ ਵਾਸਤਾ ਪਢਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਾਖਿਲ ਹੁਏ ਹਨ, ਮੁਮਕਿਨ ਥਾ ਕਿ ਉਨਕੀ ਰਿਆਯਤ ਮੈਂ ਅਲਲਾਹ ਕੀ ਇਵਾਦਤ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੀ ਤਰਹ ਕੀ ਕੋਈ ਸੁਸ਼ੀ ਆਤੀ, ਲਿਹਾਜਾ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਮੈਂ ਤਾਕੀਦ ਕੇ ਸਾਥ ਦੋ ਟ੍ਰਕ ਅਂਦਾਜ਼ ਮੈਂ ਨਬੀ ਕਰੀਮ (ਸ0ਅ0ਵ0) ਕੋ ਮੁਖਾਤਿਬ ਬਨਾਕਰ ਸਰਾਹਤ ਕਰ ਦੀ ਗਈ, ਅਲਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਹੈ:

"ਕਹ ਦੀਜਿਏ ਏ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਉਸਕੀ ਇਵਾਦਤ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ ਜਿਸਕੀ ਤੁਮ ਕਰਤੇ ਹੋ ਔਰ ਨ ਤੁਮ ਉਸਕੀ ਇਵਾਦਤ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਿਸਕੀ ਇਵਾਦਤ ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਔਰ ਨ ਮੁੜੋ ਉਸਕੀ ਇਵਾਦਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਸਕੀ ਇਵਾਦਤ ਤੁਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਨ ਤੁਮਹੋਂ ਉਸਕੀ ਇਵਾਦਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਸਕੀ ਇਵਾਦਤ ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਤੁਮਹਾਰੇ ਲਿਏ ਤੁਮਹਾਰਾ ਦੀਨ ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਿਏ ਮੇਰਾ ਦੀਨ।"

(ਸੂਰਹ ਕਾਫ਼ਿਰੁਨ: 1-6)

ਇਵਾਦਤ ਕੇ ਬਾਦ ਮੁਆਸ਼ਰਤੀ ਜਿਨ੍ਦਗੀ ਮੈਂ ਵਾਲਿਦੈਨ, ਅਕਰਿਆ, ਧਤਾਮੀ, ਮਸਾਕੀਨ ਔਰ ਪਡੋਸੀ ਵਾਗੈਰਹ ਤਮਾਮ ਲੋਗਾਂ ਕੇ ਹੁਕੂਕ ਕੀ ਅਦਾਧਗੀ ਕੀ ਤਰਫ ਤਵਜ਼ੀ ਦਿਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਅਲਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਹੈ:

"ਔਰ ਅਲਲਾਹ ਕੀ ਬਨਦਗੀ ਕਰਤੇ ਰਹੇ ਔਰ ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਕੁਛ ਭੀ ਸ਼ਰੀਕ ਮਤ ਕਰੋ ਔਰ ਵਾਲਿਦੈਨ ਕੇ ਸਾਥ ਅਚਾ ਸੁਲੂਕ ਕਰਤੇ ਰਹੋ ਔਰ ਕਾਬਤ ਦਾਰੋਂ, ਧਤੀਮਾਂ, ਮਿਸਕੀਨਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਡੋਸੀ ਔਰ ਅਜਨਬੀ ਪਡੋਸੀ, ਸਾਥ ਬੈਠਨੇ ਵਾਲੇ, ਮੁਸਾਫਿਰ ਔਰ ਗੁਲਾਮਾਂ ਕੇ ਸਾਥ (ਭੀ ਹੁਸ਼ੇ ਸੁਲੂਕ ਕਰੋ) ਬਿਲਾ ਸ਼ੁਭਾ ਅਲਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਤਰਾਨੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਖੀਬਾਜ਼ ਕੋ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ।"

(ਨਿਸਾ: 36)

ਧਹ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਕਾ ਐਜਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਹ ਏਹਕਾਮ ਵ ਤਾਲੀਮਾਤ ਬਧਾਨ ਕਰਨੇ ਕੇ ਸਾਥ ਇੱਨਸਾਨ ਕੀ ਖਾਮਿਯਾਂ ਔਰ ਕਮਜ਼ੋਰਿਯਾਂ ਪਰ ਨਿਸਾਨਦੇਹੀ ਭੀ ਕਰ ਦੇਤਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਕੂਰਾ

आयत में तमाम लोगों के साथ हुस्ने सुलूक की तालीम देने के बाद “इतराने वाले शेखीबाज़” को पसंद करने का तज़्किरा करने में यही हिक्मत पोशीदा है कि इन्सानी फ़ितरत का तकाज़ा यह है कि बाज़ मर्तबा जब वह कोई ख़ैर का काम करता है तो किसी न किसी दर्जे में उसके अन्दर अकड़ और खुदनुमाई का जज्बा पैदा हो जाता है, जो उसक तमाम आमाल को अकारत कर देता है, इसीलिए ऐसे मौके पर कुरआन मजीद ने फ़ौरन आगाह कर दिया कि तमाम काम अल्लाह की रज़ा के लिए हों, किसी भी ख़ैर के काम को करने के बाद अकड़ना अच्छी बात नहीं।

मुआशरती ज़िन्दगी में हर मोड़ पर पेश आने वाले मसाएल की रहनुमाई फ़रमाने के साथ उन तमाम कामों में भी मुकम्मल रहनुमाई की गई, जिनका ताल्लुक मालियात या सियासत से है, ताकि इन्सान जो कुछ कमाए, वह भी हलाल हो और जिस सोसाइटी में रहे उसमें एक अमानतदार और मुनिसिफ़ की हैसियत से पहचाना जा सके और पूरा मुआशरा अमन व अमान और इन्सानियत दोस्ती की अजीमुश्शान मिसाल बन सके, कुरआन मजीद ने माल के बारे में सबसे पहले यह तसव्वुर कराया कि माल अल्लाह की दी हुई एक अमानत है जिसको सही मसरफ़ में ख़र्च करना चाहिये, वरना यही माल इन्सान के लिए आखिरत में हलाकत व खुसरान का बाइस होगा, सूरह नूह में इस्तिगफ़ार की कसरत पर मिलने वाले इनामों का तज़्किरा करते हुए माल की नेमत याद दिलाकर इरशाद होता है:

“और तुम्हारे माल और बेटों में इज़ाफ़ा फ़रमाएगा और तुम्हारे लिए बाग़ात तैयार कर देगा और तुम्हारे लिए नहरें जारी फ़रमा देगा।” (नूहः 12)

फिर इसी माल को सही मसरफ़ में ख़र्च करने वालों के बारे में इरशाद होता है:

“वह जो अल्लाह के रास्ते में अपने माल को ख़र्च करते हैं फिर ख़र्च करने के बाद उस पर न एहसान रखते हैं न अज़ीयत (देते हैं) उनके लिए उनका अज़र रब के पास है और उन पर न कुछ ख़ौफ़ होगा और न वह ग़मग़ीन होंगे।” (सूरह बक़रा: 262)

यहां भी यह बात क़ाबिले तवज्जो है, मुमकिन था कि अल्लाह की राह में माल ख़र्च करने के बाद इन्सान

में कुछ खुदनुमाई और एहसानमंदी का जज्बा पैदा होता तो फ़ौरन उसकी निशानदेही कर दी गयी ताकि उसका यह अच्छा अमल उसकी नियत के फ़साद से ज़ाया न हो जाए, जिन लोगों को यह माल व दौलत या दुनिया की कोई भी चीज़ अल्लाह तआला के कुर्ब से दूर करे, अय्याशी में मुब्तिला करे, ऐसे लोगों के बारे में भी कुरआन मजीद ने बात साफ़ कर दी, इरशाद होता है:

“ऐ ईमान वालो! तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद कहीं तुमको अल्लाह की याद और नमाज़ से ग़ाफ़िल न कर दें और जिसने ऐसा किया तो ऐसे लोग ही घाटा उठाने वाले हैं।” (सूरह मुनाफ़िकूनः 9)

इन्सानी समाज में “अदल व इन्साफ़” एक जली उनवान है, जिसके मफ़कूद होने पर कौमें ज़वाल का शिकार हो जाती हैं, इसके मुतालिक इरशाद होता है:

“और जब बात कहना तो इन्साफ़ ही से कहना ख़ाह अपना क़रीब ही क्यों न हो।” यह एक आम उसूल बयान कर दिया गया, अब बात करना चाहे आपसी बातचीत हो, या किसी मुक़द्दमे की बातचीत हो, या ख़तीब व वाइज़ या मुसन्निफ़ की बात हो, ग़रज़ कि हर जगह इस हुक्म का इन्तिबाक़ होगा, यह आखिरी दर्जे की बात है कि कुरआन मजीद ने दुखती रग पर हाथ रखते हुए फ़रमाया कि इन्साफ़ की बात कहना ज़्यादा अज़ीज़ होना चाहिए, बमुकाबला किसी क़रीबी रिश्तेदार के, क्योंकि कभी-कभी इन्सान अपने अक़रबा की अक़रबा परवरी में हक़ व इन्साफ़ की बात से रुग्गरदानी कर जाता है।

इस ज़िन्दगी के मुख्तालिफ़ ख़ानों में कुरआन के यह बेशकीमत उसूल मुख्तासर तौर पर ज़िक्र किये गये हैं, जिनसे अंदाजा होता है कि कुरआन ने ज़िन्दगी के किसी कोने में इन्सान को तन्हा नहीं छोड़ा, बल्कि उसके उसूल हमेशा के लिए ताबां व दररुशां हैं, उन्हीं के अखियार करने में इन्सानियत की फ़लाह है और कुरुने अव्वल इसकी बेहतरीन मिसाल है, ज़ाहिर है इसको छोड़कर ज़िल्लत में मुब्तिला होना तमाम इन्सानियत के सालिए ज़लालत का सबब है, काश! आज की तरक़ी याफ़ता कौमें कुरआन मजीद के इस सबक को समझतीं और इन्सानियत को एक खुली फ़िज़ा में सांस लेने का मौका फ़राहम हो।

गहुँ-ए-खजान छबीसों की शैशवी में





- रमज़ान एक बाबरकत व अज़ीमुश्शान महीना है, इसमें एक ऐसी रात है जो हज़ार महीने से ज्यादा बेहतर है।
- रमज़ान सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है।
- रमज़ान ग़मख्वारी का महीना है और यह वह महीना है जिसमें मोमिन का रिज़क बढ़ा दिया जाता है।
- रमज़ान का पहला अशरा रहमत, दरमियानी अशरा म़ग़िफ़रत और आखिरी अशरा जहन्नम की आग से आज़ादी और निजात का है।
- अल्लाह तआला ने इस मुकद्दस महीने में रोज़े फ़र्ज़ किए और रातों में इबादत को नफ़िल क़रार दिया है।
- रमज़ान में एक फ़र्ज़ का सवाब दूसरे दिनों के सत्तर फ़राएज़ अदा करने के बराबर है।
- रमज़ान के महीने में नेकी का एक काम या नफ़िल इबादत का सवाब दूसरे दिनों में फ़र्ज़ की अदायगी के बराबर है।
- इस महीने में किसी रोज़ेदार को इफ़तार कराना एक रोज़ा रखने के बराबर सवाब का काम है।
- अगर किसी शख्स ने रोज़ेदार को पेटभर कर खाना खिलाया तो अल्लाह उसे हौज़-ए-कौसर से ऐसा सैराब करेगा कि कभी प्यास न लगेगी। (शोएबुल ईमान लिलबैहिकी, फ़ज़ाएल शहरे रमज़ान: 3608)
- रमज़ानुल मुबारक के रोज़े पूरे साल के गुनाहों का कफ़्फारा हैं बशर्ते कि गुनाहे कबीरा न हों। (सही मुस्लिम, किताबुल तहारत: 574)
- रमज़ानुल मुबारक में सच्ची नियत और सवाब की उम्मीद में रोज़ा रखना अल्लाह की जानिब से म़ग़िफ़रत का ज़ामिन है। (सही मुस्लिम: 1817)
- रमज़ानुल मुबारक में किया जाने वाला उमरा एक हज के बराबर सवाब रखता है। (सही मुस्लिम: 3097)
- रमज़ान में जन्नत के दरवाज़े खोल दिये जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बन्द कर दिये जाते हैं और शैतान जकड़ दिये जाते हैं। (सही मुस्लिम: 2547)
- रोज़ा गुनाहों से हिफाज़त की ढाल है। (सही मुस्लिम: 2761)
- रोज़ेदार के मुंह की बूँ अल्लाह को मुश्क की खुशबू से ज्यादा पसंद है। (सही मुस्लिम: 2760)

इन्तखाब व पेशकश: मुहम्मद नज़मुद्दीन मनीपूरी नदवी

Issue: 04-05

April - May 2023

Volume: 15



Editor: Bilal Abdul Hai Hasani Nadwi
MARKAZUL IMAM ABIL HASAN AL-NADWI

Dare Arafat, Takiya Kalan, Raebareli, U.P.
Mobile: 9565271812
E-Mail: markazulimam@gmail.com
www.abulhasanalnidwi.org

Printed & Published by: Mohammad Hasan Nadwi
On Behalf of: Markazul Imam Abil Hasan Al-Nadwi
Printed at S.A. Offset Printers, Masjid ke peeche, Phatak
Abdullah Khan, Sabzi Mandi, Station Road, Raebareli, U.P.